

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONE, BHOPAL**  
**ORIGINAL APPLICATION NO.117 OF 2023**

**IN THE MATTER OF:**

**News report dated 24th September 2023 Dhanik Bhaskar Bhopal Edition,  
Reported by Sh. Manish Kushwah with regard to illegal mining, District  
Vidisha**

**vs**

**State of Madhya Pradesh.**

**INDEX**

<b>SR. NO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	Factual report in compliance of Hon'ble NGT order dated 25/09/2023 in the matter of OA 117/2023 (CZ) of News report dated 24th September 2023 Dhanik Bhaskar Bhopal Edition, Reported by Sh. Manish Kushwah with regard to illegal mining, District Vidisha vs State of Madhya Pradesh.	1-9
2.	Annexure-	10-56

Date: 01.11.2023

FILED BY



**PARUL BHADORIA**  
**Advocate for Respondent No. 4 i.e., MPPCB**  
Ph. No.: (+91)-8085977111;  
Email:parul.bhadoria04@gmail.com

# **Factual report in compliance of Hon'ble NGT order dated 25/09/2023 in the matter of OA 117/2023 (CZ)**

**Sub: Factual report in compliance of Hon'ble NGT order dated 25/09/2023 in the matter of OA 117/2023 (CZ) of News report dated 24th September 2023 Dhanik Bhaskar Bhopal Edition, Reported by Sh. Manish Kushwah with regard to illegal mining, District Vidisha vs State of Madhya Pradesh.**

Hon'ble NGT vide order dated 25/09/2023 issued following instructions in the matter of OA 117/2023 (News report Dated 24th September 2023 Dhanik Bhaskar Bhopal Edition, Reported by Sh. Manish Kushwah with regard to illegal mining, District Vidisha vs State of Madhya Pradesh):

*“7. In view of the averments made we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of :-*

- i. One Representative from the CPCB.*
- ii. One Representative from the integrated office of MoEF&CC, Bhopal*
- iii. One Representative from the State Pollution Control Board.*
- iv. DFO, Vidisha*

*8. The Committee is directed to visit the place and look into the grievances as narrated above, verify the factual position and submits its report within 20 days through email at [ngtczbbho-mp@gov.in](mailto:ngtczbbho-mp@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

*9. State PCB will be the nodal agency for co-ordination and compliance. The committee have to submit the report on the following points.*

- i. Number of minings sanctioned by the authorities with consent conditions and EC as required.*
- ii. Number of illegal minings with details of violators involved in the process of illegal mining.*

- iii. Mining excavated by illegal mining mafia, the value*
- iv. Status of DPR and the replenishment study of area*
- v. Loss of the forest area and plantation.*
- vi. Environmental compensation against each violator in accordance with the parameter laid down by the CPCB and this Tribunal.*
- vii. Number of transport vehicle seized or action taken by the state authorities. ”*

In compliance of the order of Hon’ble NGT, joint committee comprising of following officials from different departments has been constituted, the details of which are as under:

1. Dr. H V Chary, Scientist E, Regional Office, – Representative of MoEF&CC, Bhopal MoEF&CC
2. Shri Omkar Singh Marskole, DFO, Forest – Representative of Department, Distt -Vidisha Forest Department
3. Shri Brajesh Sharma, Regional officer, MPPCB, – Representative of Bhopal MPPCB
4. Dr Poulami C Patil, Scientist B, Regional – Representative of Directorate, Central Pollution Control Board, CPCB Bhopal

Following officials, namely, Shri Mehtab Singh, District Mining Officer, Distt Vidisha, Shri Pankaj Wankheda, Asst Mining Officer, Distt Vidisha, Shri Tarun Dehariya, SDO, Forest Department, Distt Vidisha and Shri Devesh Gautam, Ranger, Forest Department, Distt Vidisha were also associated during the site visit by the joint committee.

The officials of the joint committee visited various mining sites located in the villages as mentioned in the order on 12/10/2023 and 13/10/2023. During the site visit, the joint committee also interacted with the reporter of Dainik Bhaskar Shri Manish Khushwaha over phone and enquired about various illegal mining sites. Shri Khushwaha appraised the committee about various illegal mining sites and shared few site photographs over whatsapp. The joint committee could undertake site visit to only few of the said locations during the preliminary visit on 13.10.2023. The photographs are attached as **Annexure-1** for kind perusal.

The factual details of various mining sites as available in the records of the Forest Dept., Mining Dept. and MPPCB were placed before the joint committee during the site inspection and following observations were made: -

1. The illegal mining sites mentioned in the Hon'ble NGT order, are located approximately 14 KM away from Tehsil Ganj Basoda within the forest area.
2. The nearest mine pit is located at around 500 meters away from Neelkanteshwar temple in the forest land.
3. As per the information provided by Forest Department, Distt Vidisha vide letter No 1990 Dated 27/10/2023, various details of the forest area mentioned in the court order are as under. Copy of the letter is enclosed as **Annexure -2**:

1. The Ganj Basoda forest range is spread across 9928.37 Hactare.
2. There are 04 sub ranges are falling under Ganj Basoda Forest Range. The details are given in the following table:

<b>Name of Sub Range</b>	<b>Name of Beat</b>	<b>Area in Hact.</b>
Basoda	Basoda	71.46
Total		<b>71.46</b>
Richai	Richai First	755.17
	Richai Second	352.66
	Richai Third	599.68
	Parwasa	1263.1
Total		<b>2970.61</b>
Van Choki Bhilayan	Ghatera	829.87
	Udaipur	1124.57
	Padhar	1464.19
	Bhilayan	860.54
Total		<b>4279.17</b>
Jajon	Hamidpur	710.18
	Pathari	592.96
	Suja	1303.99
Total		<b>2607.13</b>
Grand Total		<b>9928.37</b>

3. The issue of illegal mining is concerned with Sub Range of Bhilayan which is having a total area of 4279.17 Hact.
4. There are total 38 villages falling under Sub Range Bhilayan having total population of 34193.

### **Action Taken by Forest Department to prevent illegal mining**

1. Barriers were installed at Ghatara and Udaipur and forest staff were deployed for 24X7 vigil.
  2. Forest guards are doing day and night patrolling in the forest range to prevent the illegal mining. The range is also being monitored through drone cameras.
  3. The forest staff during patrolling of the range has taken several actions against the illegal miners during the last 05 years (January 2019 to September 2023) and registered 144 cases of illegal mining and transportation. The actions include seizure of 44 nos. of tractors, 42 nos. trollies, 20 nos. trucks, 05 nos. JCB, machine, 01 no. Poclain, 05 nos. motorcycle, 03 nos. blasting equipment, 02 nos. Compressor, 01 no. diesel engine along with 2191 nos of stone pieces and 637 nos. of instruments. A monetary penalty of Rs 582916/- was imposed in 46 cases and deposited in to govt treasury.
  4. DFO, Forest Department has constituted a inter departmental committee to review the mine pits located within the Forest area and prepare a map of mine pits with details of geographical locations, area / depth of the pit and stock of overburden dump.
4. Mining Department vide letter No 2100 Dated 26/10/2023 has provided the information and the details are as under. Copy of the letter is enclosed as **Annexure -3** and the details are summarized below:
1. As per the official records, the Basoda range of District Vidisha was revenue land before the implementation of Forest Conservation Act, 1980. The minor mineral Farshipatthar (Flag Stone) mines were sanctioned and operated in this area. The

above land was transferred to Forest department (i.e.as compensatory land for construction of Halali dam) and the sanctioned mines in this area were closed.

2. The Farshipatthar (Flag Stone) is available in abundant in above area and therefore,severalefforts were made to transfer the 849 ha. of forest land to revenue department, but no progress was made till date. However, taking into cognizance the rampant illegal mining in the area, the local miningdepartment assured to take up the matter with the State govt and the work is in progress
3. The mining department is taking action against the illegal mining and in the last 03 years, Rs 20.00 lacs penalty was recovered from 41 cases.
4. Under Basoda Forest Range (Udaipur area), total 75 Flag stone mines were sanctioned and operated before the implementation of Forest Conservation Act 1980.Currently all these mines are closed. List is enclosed as **Annexure-4**
5. Adjacent to Basoda Forest Range (Udaipur area) boundary, total 61 flag stone mines are located on private / Revenue land. Currently all these mines are closed. List is enclosed as **Annexure-5**
6. Away from Basoda Forest Range boundary, total 48 flag stone mines are located on private / Revenue land. Currently all these mines are closed. List is enclosed as **Annexure-6**
7. There are 19 mine leases sanctioned outside Basoda forest range on private / revenue land. In these 19 leases, 09 are near the forest land and 10 are away from forest land.Listare enclosed as **Annexure-7 & 8**
8. Out of these 19 mines, 06 mines are having Environmental clearance from MPSEIAA and 13 mines are having Environmental clearance from DEIAA.
9. Currently, the mines having Environmental clearance from DEIAA are closed down as per the Honble NGT order dated 13/09/2023 in OA no 36/2023 (CZ).

10. The minutes of the district task force meeting held under the chairmanship of District Collector, Vidisha from January 2021 to September 2023 are enclosed as **Annexure- 9**. In the minutes the complaints of illegal mining in the forest land of Udaipur, Tehsil Basoda were discussed and various actions are suggested.
5. Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) has furnished the following information before the Joint committee:
  1. As per the office record of M P Pollution Control Board, the list of Flag Stone mines which obtained consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 is enclosed as **Annexure- 10**.
  2. The mines having environmental clearance from DEIAA were issued notices to close the operations as per the Honble NGT order dated 13/09/2023 in OA no 36/2023 (CZ).

#### **Observations of the Joint Committee:**

1. The joint committee visited the area on 12/10/2023 and 13/10/2023.
2. The forest area under question is very vast and also not properly accessible except few sites located along the road side.
3. Forest cover in the forest area is comprising of mainly of Lantana camara, *Ocimum gratissimum* (Van tulsi), Karonda species and falls under blank area category. No significant plantation (except shrubs etc.) was observed in the forest land due to its stony terrain.
4. Joint committee visited 10 sanctioned mines located on private land near the forest area. All these mines were not in operation as water was filled in the mine pit. Visit to the other sanctioned mine leases was postponed to a later date due to engagement of all state government officers (Forest and Mining) in the election related works. The joint committee decided to undertake subsequent visits during the proposed phase-2 study.

5. In addition to the sanctioned leases, approx. 07 illegal mines pits located near the road in the forest land were also visited. Huge stock piles of overburden was also observed near the mines.
6. The joint committee also visited the Neelkanteshwar temple and found no signs of damage due to any blasting activity from the operation of mines (both legal and illegal) located in its vicinity.
7. The Joint committee deliberated the impact of blasting from the mines on the Neelkanteshwar temple and made following observations:
  - Low intensity blasting is generally preferred in flag stone (farshipattar) mines due to delicate nature of the flag stone and hence, no impact on the temple is anticipated due to such blasting.
  - High intensity blasting may be required in the event of removal overburden, if available. Therefore, the intensity of blasting in the Overburden needs to be restricted by the local mining department so as to rule out and avoid any possible impact on the said temple. Blast monitoring devices may be installed around the temple to ensure periodic monitoring of high impact blasting events from all sort of mining activities.
8. As the Vidhan Sabha election, 2023 was declared in Madhya Pradesh and most of the state government officials are engaged in election duty, following timelines are proposed after completion of election i.e. after 17/11/2023.
9. To complete the tasks as assigned by the Hon'ble NGT vide order dated 25/09/2023, the committee formulated a phase wise action plan which is summarized below:

<b>Phase</b>	<b>Details</b>	<b>Expected Time required</b>
Phase-1	Compilation of data related to illegal mining: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Collection of information related to identification of mining pits located within the forest area, the details of the pits including depth and stock</li> </ol>	Approx. 8 weeks time after conclusion of election process.

	<p>of OB dump. Forest department will conduct a systematic drone survey of the forest land under question</p> <p>b. Based on the data collected, prepare a map (KML) showing locations of the mine pits in the forest area</p> <p>c. The forest staff along with Mining department will assess the mineral excavated and quantity of OB dump in each of the identified illegal mining sites.</p>	
Phase-2	Based on information collated during Phase-1, the joint committee will conduct random ground truthing /survey of the illegal mined-out pits located in the forest land through site visits to ascertain the data collated by Forest and mining department.	Approx. 6 weeks time after completion of phase-1 study
Phase-3	Final report preparation based on the site visits and information collected by local Forest and Mining departments.	Approx. 4weeks time after completion of phase-2 study

10. Taking into consideration the above facts, the joint committee requests Hon'ble NGT to permit a time period of 18 weeks for final report submission, i.e., latest by February 28, 2024.
11. Meanwhile, the joint committee strongly recommended that the mining department in consultation with Forest department shall pursue with the state government and expedite the process of denotifying the Forest land of 849 Ha, where flag stone leases were in operation prior to 1980s. This process will completely address the issue of illegal mining

and also earn significant revenue for the state government through royalty and earn huge forex reserves, as the flag stone from the said leases has very high export value in the international market. Such sanction of new leases in the forest land will also create more employment opportunities for the local population.




(Dr Poulami C Patil)  
Scientist B,  
Regional Directorate,  
Central Pollution  
Control Board, Bhopal



(Omkar Singh Marskole)  
DFO, Forest Department,  
Distt - Vidisha



(Brajesh Sharma)  
Regional officer, MPPCB,  
Bhopal



(Dr. H V C. Chary)  
Scientist E, Regional  
Office, MoEF&CC, Bhopal

# Annexure- I

## Inspection Photographs of Mining in Tehsil Basoda, District Vidisha























कार्यालय  
वन मण्डल विदिशा

ई-मेल- dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष- 07592- 232967, फ़ैक्स- 236976

क्रमांक / स्टेनो / 1990

विदिशा, दिनांक 27-10-23

प्रति,

श्री बृजेश शर्मा,  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल म0प्र0

विषय :- अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

—00—

विषयांतर्गत निवेदन है, कि वन परिक्षेत्र गंजबासौदा अंतर्गत अवैध उत्खन्न रोकने के हेतु किये गये प्रयास एवं वर्ष 2019 से 30.09.2023 तक की स्थिति में जप्त सामग्री एवं जप्त वाहनों की जानकारी की अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुरसार।

  
वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल, विदिशा

# माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 117/2023 के संबंध में गंजबासौदा स्थित वनक्षेत्र की जानकारी

01 परिक्षेत्र गंजबासौदा का कुल हेक्टेयर 9928.37 हेक्टेयर है, जिसमें वनचौकी भिलाय का कुल 4279.17 हेक्टेयर है।

सब रेंज का नाम	बीट का नाम	क्षेत्रफल है०
सबरेंज बासौदा	बासौदा	71.46
<b>योग</b>		<b>71.46</b>
सब रेंज रीछई	रीछई प्रथम	755.17
	रीछई द्वितीय	352.66
	रीछई तृतीय	599.68
	पैरवासा	1263.1
<b>योग</b>		<b>2970.61</b>
वन चौकी प्रभारी भिलायं	घटेरा	829.87
	उदयपुर	1124.57
	पधार	1464.19
	भिलायं	860.54
<b>योग</b>		<b>4279.17</b>
सबरेंज जाजौन	हामिदपुर	710.18
	पठारी	592.96
	सूजा	1303.99
<b>योग</b>		<b>2607.13</b>
<b>कुल योग</b>		<b>9928.37</b>

02 वनचौकी भिलायं के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम कुल 38 है, जिनकी कुल जनसंख्या 34193 है।

### 03 अवैध उत्खनन को रोकने के लिए निम्न प्रयास किये गये है -

1. अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अस्थायी वेरियर घटेरा एवं उदयपुर पर स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाकर 24x7 उपस्थित रहकर निगरानी रखी जा रही है।
2. वनचौकी स्टाफ के द्वारा एवं परिक्षेत्र स्तर से अवैध उत्खनन पर नियंत्रण हेतु दल बनाये जाकर दिन एवं रात्रि में गश्ती कराई जाकर अवैध उत्खनन पर नियंत्रण रखा जा रहा है। गश्ती के दौरान पुरानी खदानों में मिले पत्थर पत्थर फर्शी को तोड़ा गया तथा ड्रोन कैमरा से अवैध उत्खनन क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है।
3. गश्ती के दौरान वन अमले के द्वारा अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये विगत 05 वर्षों (जनवरी 2019 से दिनांक 30.09.2023) की अवधि में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कुल 144 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। जिनमें (44 ट्रेक्टर, 42 ट्राली, 20 ट्रक, 05 जे0सी0बी0 मशीन, 01 पोकलेन, 05 मोटर साईकिल, 03 ब्लास्टिंग, 02 कम्प्रेसर, 01 डीजल इंजन एवं 07 पाईप, 2191 नग पत्थर एवं 637 नग औजारों की जप्ती की गई तथा जांच दौरान 46 प्रकरणों में कुल 562916/- रू0 राशि वसूलकर किये जाकर शासकीय खजाने में जमा करवाई गई।
4. मुख्यबिर तंत्र को विकसित किया गया, अब मुखबिरों को यह जानकारी हो गई है कि सूचना एवं कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती है, तब और अधिक सूचनाएं दी जाने लगी।
5. वनचौकी भिलायं के अंतर्गत वनक्षेत्र रिक्त,कार्य अयोग्य(BL-3) एवं लेन्ताना है।

  
वनपरिक्षेत्र अधिकारी  
वनपरिक्षेत्र गंजबासौदा

## कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी गंजबासौदा

वनमण्डल विदिशा अंतर्गत अबैध उत्खनन की विगत 05 वर्षों 2019 to 30-09-2023 की स्थिति

क्र0	दर्ज प्रकरण	जप्त सामग्री जप्त वाहनों का विवरण	वसूली राशि	रिमार्क
1	116/07 d. 10/01/2019	ट्रक 23 पत्थर भरा हुआ	25000	केश कम्पाउन्ड
2	104/39 d. 25/01/2019	पोकलेन (जेसीबी) मशीन मोके से फरार	0	जांच पूर्ण कर उपवनमण्डलाधिकारी गंजबासौदा को नस्तीवद्ध हेतु प्रस्तुत किया गया
3	120/21 d. 26/01/2019	जप्त औजार 40 नग	0	केश कम्पाउन्ड
4	119/65 d. 27/01/2019	जप्त औजार 13 नग	0	केश कम्पाउन्ड
5	120/22 d. 01/02/2019	पत्थर फर्शी 65 नग, औजार 12 नग	0	जांच पूर्ण कर वसूली प्रस्तावित
6	119/66 d. 03/02/2019	जप्त औजार 11 नग	0	केश कम्पाउन्ड
7	181/26 d. 31/01/2019	जप्त औजार 08 नग	0	चौकी प्रभारी भिलायं की जांच में
8	119/67 d. 06/02/2019	किलोस्कर डीजल इंजिन मय फूटवाल एवं 07 नग पाईप काले रंग 20 फिट इंजिन नम्बर 1813170200385	0	चौकी प्रभारी भिलायं की जांच में
9	119/68 d. 07/02/2019	ट्रेक्टर ट्रॉली बिना नम्बर का जिसका चेचिस नम्बर 04510900368	10360	केश कम्पाउन्ड
10	119/69 d. 07/02/2019	जप्त औजार 08 नग	0	केश कम्पाउन्ड
11	119/70 d. 07/02/2019	ट्रेक्टर ब्लास्टिंग मशीन, गुल्ला बारूद , करेन्ट पेटी, तार सहित मौके से फरार	0	चौकी प्रभारी भिलायं की जांच में
12	119/71 d. 10/02/2019	औजार 13 नग जप्त	0	जांच पूर्ण कर उपवनमण्डलाधिकारी गंजबासौदा को नस्तीवद्ध हेतु प्रस्तुत किया गया
13	119/72 d. 21/02/2019	ब्लास्टिंग मशीन, हल्के नीले रंग की	0	राजसात प्रक्रिया में
14	119/73 d. 26/02/2019	एक ट्रक बिना नम्बर का , चेचिस नम्बर 373341MV2009931 पत्थर फर्शी भरी 42 नग	0	राजसात प्रक्रिया में
15	119/74 d. 29/03/2019	ट्रेक्टर फोर्ड 3600 मय ब्लॉस्टिंग, हीरोपैशन मोटरसाईकिल (छुड़ाकर ले गए)	0	चौकी प्रभारी भिलायं की जांच में
16	119/77 d. 26/04/2019	जप्त औजार 10 नग	0	केश कम्पाउन्ड
17	119/79 d. 05/05/2019	नीले रंग का पावर ट्रेक्टर मय ट्रॉली भसूआ से भरी हुई, 03 नग औजार जप्त	10300	केश कम्पाउन्ड
18	119/81 d. 13/07/2019	नीले रंग का आईसर (शहंशाह) मय ट्रेक्टर ट्रॉली (मौके से फरार )	0	चौकी प्रभारी भिलायं की जांच में
19	120/24 d. 26/08/2019	जप्त औजार 02 नग	0	केश कम्पाउन्ड

20	119/82 d. 01/09/2019	जप्त औजार 02 नग	0	केश कम्पाउन्ड
21	119/83 d. 02/09/2019	जप्त औजार 08 नग	0	केश कम्पाउन्ड
22	119/84 d. 06/09/2019	नीले रंग का ट्रेक्टर मय ट्रॉली में एकचौथाई भसूआ हुआ।	10300	केश कम्पाउन्ड
23	28082/20 d. 04/09/2019	एक ट्रक पत्थर फर्शी से भरी हुई	0	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 02 दि. 14.01.2020 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त किया गया।
24	28082/21 d. 04/09/2019	एक ट्रक पत्थर फर्शी से भरी हुई	0	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 01 दि. 14.01.2020 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त किया गया।
25	119/86 d. 12/10/2019	नीले रंग की हाईड्रोलिक ट्रॉली पत्थर मिट्टी मलवा भरा हुआ व 01 नग औजार	10400	केश कम्पाउन्ड
26	119/87 d. 13/10/2019	नीले रंग का सोनालिका मय ट्रेक्टर ट्रॉली (मौके से फरार )	0	चौकी प्रभारी भिलायं की जांच में
27	104/42 d. 27/10/2019	फार्मट्रके चेम्पियन ट्रेक्टर मय ट्रॉली आयसर मिट्टी भसूआ से भरी हुई, चेचिस नम्बर 2476097	12400	केश कम्पाउन्ड
28	119/88 d. 03/11/2019	01 पीले रंग की जे0सी0बी0 मशीन मौके से फरार	0	चौकी प्रभारी भिलायं की जांच में
29	119/89 d. 21/12/2019	एक ट्रक 40 पत्थर फर्शी से भरी हुई	12700	केश कम्पाउन्ड
30	119/90 d. 24/12/2019	एक ट्रक 105 पत्थर फर्शी से भरी हुई	10000	केश कम्पाउन्ड
<b>Total</b>			<b>101460</b>	
1	119/91 d. 15/02/2020	औजार 07 नग	0	केश कम्पाउन्ड
2	119/92 d. 17/02/2020	औजार 10 नग	0	केश कम्पाउन्ड
3	120/27 d. 25/02/2020	औजार 05 नग	0	केश कम्पाउन्ड
4	119/93 d. 26/02/2020	औजार 25 नग	0	केश कम्पाउन्ड
5	119/94 d. 26/02/2020	औजार 05 नग	0	केश कम्पाउन्ड
6	119/95 d. 26/02/2020	औजार 11 नग	0	केश कम्पाउन्ड
7	120/28 d. 27/02/2020	औजार 04 नग	0	केश कम्पाउन्ड
8	119/96 d. 19/03/2020	औजार 12 नग	0	केश कम्पाउन्ड
9	120/29 d. 01/04/2020	जेटर कम्पनी का लालरंग का पुराना ट्रेक्टर ट्रॉली जप्त	10000	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 09 दि. 13.08.2020 एवं पत्र क्रमांक 550 दिनांक 13.08.2022 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त
10	120/32 d. 20/04/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली बोल्टर चनखारी 108 नग भरी हुई।	11080	केश कम्पाउन्ड
11	120/33 d. 23/04/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली बोल्टर चनखारी 32 नग भरी हुई।	10920	केश कम्पाउन्ड

12	119/100 d. 16/05/2020	औजार 15 नग	0	केश कम्पाउन्ड
13	120/34 d. 18/05/2020	मिट्टी खुदाई	2500	केश कम्पाउन्ड
14	121/01 d. 20/05/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली, 52 नग पत्थर फर्शी भरी हुई।	10000	राजसात प्रक्रिया से मुक्त।
15	120/35 d. 27/05/2020	मिट्टी खुदाई	800	केश कम्पाउन्ड
16	121/02 d. 13/06/2020	ट्रेक्टर ब्लॉस्टिंग सहित जप्त	10000	केश कम्पाउन्ड
17	120/36 d. 20/06/2020	औजार 17 नग	0	केश कम्पाउन्ड
18	120/37 d. 11/07/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली व 02 नग औजार जप्त	10000	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 08 दि. 07.08.2020 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त
19	120/38 d. 11/07/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली व 02 नग औजार जप्त	10000	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 07 दि. 05.08.2020 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त
20	120/39 d. 11/07/2020	ट्रॉली में 12 नग चनखारी भरी हुई	10120	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 09 दि. 05.05.2021 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त
21	121/03 d. 16/07/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली व 25 नग पत्थर चीरा जप्त	11558	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 10 दि. 04.09.2020 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त
22	121/04 d. 16/07/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली व 93 नग पत्थर चीरा जप्त	10000	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 12 दि. 29.09.2020 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त
23	121/05 d. 28/09/2020	औजार 08 नग	0	केश कम्पाउन्ड
24	121/06 d. 01/10/2020	ट्रक व 99 नग पत्थर जप्त	0	अपीलीय अधिकारी एवं मुख्यवनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल के आदेश क्रमांक 176 दिनांक 03.08.2021 से प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 05 दि. 03.02.2021 को स्थिर रखा जाता है। (राजसात)
25	121/07 d. 03/10/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली मुरम मिट्टी से भरी हुई	10900	केश कम्पाउन्ड
26	101/14 d. 04/10/2020	ट्रक व 89 नग पत्थर फर्शी जप्त	0	अपीलीय अधिकारी एवं मुख्यवनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल के आदेश क्रमांक 177 दिनांक 03.08.2021 से प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 04 दि. 03.02.2021 को स्थिर रखा जाता है। (राजसात)
27	101/15 d. 04/10/2020	ट्रक व 80 नग पत्थर फर्शी जप्त	0	अपीलीय अधिकारी एवं मुख्यवनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल के आदेश क्रमांक 175 दिनांक 03.08.2021 से प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 03 दि. 03.02.2021 को स्थिर रखा जाता है। (राजसात)
28	121/08 d. 15/10/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली में एकचौथाई मुरम भरी हुई	10480	केश कम्पाउन्ड
29	121/09 d. 16/10/2020	औजार 12 नग	0	केश कम्पाउन्ड

30	181/81 d. 21/10/2020	औजार 19 नग	0	केश कम्पाउन्ड
31	101/16 d. 22/10/2020	ट्रेक्टर ट्रॉली व 90 नग पत्थर फर्शी जप्त	10000	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 07 दि. 25.03.2021 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त
32	181/83 d. 01/11/2020	ट्रक व 04 नग पत्थर फर्शी जप्त	10338	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 01 दि. 20.01.2021 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त
33	121/10 d. 04/11/2020	औजार 13 नग	0	चौकी प्रभारी भिलायं की जांच में
34	121/11 d. 08/11/2020	ट्रक व 98 नग पत्थर फर्शी जप्त	10000	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 02 दि. 20.01.2021 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त
35	120/43 d. 19/12/2020	ट्रक व 100 नग पत्थर फर्शी जप्त	10000	प्राधिकृताधिकारी महोदय, गंजबासौदा के आदेश क्रमांक 08 दि. 15.04.2021 से राजसात प्रक्रिया से मुक्त

Total

168696

1	121/12 dt 05-01-2021	औजार 4 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	10400	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
2	121/13 dt 20-01-2021	-	जे0सी0बी मशीन	-	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
3	121/15 dt 06-02-2021	पत्थरफर्शी 142 नग	ट्रक	-	राजसात प्रक्रिया में
4	101/20 dt 22-05-2021	चनखारी 210 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	-	राजसात प्रक्रिया में
5	120/46 dt 27-05-2021	औजार 7 नग	-	-	केश कम्पाउड
6	121/23 dt 11-06-2021	औजार 23 नग	-	-	केश कम्पाउड
7	121/24 dt 18-06-2021	औजार 10 नग	-	-	केश कम्पाउड
8	121/25 dt 13-07-2021	बोल्डर चनखारी 50 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	10750	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
9	120/47 dt 13-07-2021	चनखारी 35 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	10525	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
10	121/26 dt 21-07-2021	औजार 9 नग	-	-	केश कम्पाउड
11	120/48 dt 13-08-2021	औजार 9 नग	-	-	केश कम्पाउड
12	121/27 dt 31-08-2021	चनखारी 12 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	10180	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
13	121/28 dt 09-09-2021	-	ट्रेक्टर ट्रॉली (झगडा कर भागकर ले गये)	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
14	121/29 dt 24-10-2021	01 घमी मिटटी भसआ भरा हुआ	ट्रेक्टर ट्रॉली	10600	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
15	281/01 dt 26-10-2021	औजार 12 नग	-	-	केश कम्पाउड
16	120/49 dt 25-11-2021	-	ट्रेक्टर ट्रॉली प्लाउ सहित	10450	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
17	121/30 dt 11-12-2021	-	ट्रेक्टर ट्रॉली	10600	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
18	121/31 dt 16-12-2021	01 घमी मिटटी भसआ भरा हुआ	ट्रेक्टर ट्रॉली	11200	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
<b>Total</b>				<b>84705</b>	

YEAR 2022					
1	101/23 dt 03-01-2022	चनखारी 43 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली पत्थर चीरा से भरी हुई (झगडा कर भागकर)	12145	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
2	121/32 dt 05-01-2022	औजार 14 नग	-	-	केश कम्पाउड
3	121/33 dt 08-01-2022	औजार 6 नग	-	-	केश कम्पाउड
4	120/50 dt 16-01-2022	औजार 12 नग	-	-	केश कम्पाउड
5	121/34 dt 19-01-2022	पत्थर चनखारी 160 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	12400	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
6	121/35 dt 25-01-2022	-	ट्रक	10000	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
7	121/36 dt 25-01-2022	3/2 घमी मिटटी	ट्रेक्टर ट्रॉली	10900	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
8	121/37 dt 29-01-2022	औजार 08 नग	-	-	केश कम्पाउड
9	121/38 dt 03-02-2022	-	जे0सी0बी मशीन	-	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
10	121/39 dt 11-02-2022	-	ट्रक	10000	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
11	121/40 dt 10-03-2022	पत्थर फर्शी 27 नग	ट्रक	11902	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
12	121/41 dt 03-04-2022	पत्थर चीरा 70 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	10000	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
13	121/42 dt 04-04-2022	अबैध मलवा भरा हुआ	ट्रेक्टर ट्रॉली	10000	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
14	121/43 dt 04-04-2022	-	मोटर साईकिल	10000	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
15	121/45 dt 13-04-2022	-	ट्रेक्टर ट्रॉली	10000	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
16	121/46 dt 05-05-2022	-	जे0सी0बी मशीन	-	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
17	121/47 dt 05-05-2022	-	ट्रेक्टर ट्रॉली (झगडा कर भागकर ले गये)	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
18	121/48 dt 05-05-2022	-	ट्रेक्टर ट्रॉली (झगडा कर भागकर ले गये)	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
19	121/49 dt 21-05-2022	पत्थर फर्शी 65 नग	ट्रक	10000	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
20	120/51 dt 29-05-2022	औजार 7 नग	-	-	केश कम्पाउड
21	120/52 dt 29-06-2022	चनखारी 20 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	10300	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
22	120/53 dt 30-07-2022	औजार 7 नग	-	-	केश कम्पाउड
23	121/50 dt 29-07-2022	औजार 7 नग	-	-	केश कम्पाउड
24	121/51 dt 02-08-2022	-	जे0सी0बी मशीन	11751	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
25	120/54 dt 23-09-2022	औजार 6 नग	-	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
26	121/52 dt 26-09-2022	औजार 9 नग	-	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
27	281/24 dt 18-10-2022	औजार 21 नग	-	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
28	121/53 dt 19-10-2022	औजार 28 नग	-	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
29	120/55 dt 21-10-2022	औजार 7 नग	-	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में

30	121/54 dt 09-11-2022	औजार 07 नग	-	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
31	121/55 dt 13-11-2022	08 नग पत्थर फर्शी	ट्रक	11245	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
32	120/56 dt 25-11-2022	औजार 05 नग	-	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
33	121/56 dt 02-12-2022	पत्थर 50 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	12805	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
34	121/57 dt 03-12-2022		कम्प्रेसर मशीन एक पहिया सहित	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
35	121/58 dt 05-12-2022	औजार 12 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
36	121/59 dt 25-12-2022	पत्थर चीरा 50 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	10969	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
37	121/60 dt 25-12-2022	पत्थर चीरा 48 नग	ट्रेक्टर ट्रॉली	10930	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
<b>Total</b>				<b>185347</b>	
YEAR 2023					
1	121/61 dt 07-01-2023	औजार 06 नग	मोटर साईकिल	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
2	121/62 dt 07-01-2023	औजार 08 नग	मोटर साईकिल	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
3	121/63 dt 07-01-2023		मोटर साईकिल	-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
4	121/64 dt 12-01-2023	पत्थर फर्शी 33 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
5	120/58 dt 12-01-2023	औजार 09 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
6	121/65 dt 21-01-2023	औजार 18 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
7	121/66 dt 22-01-2023	औजार 03 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
8	120/59 dt 27-02-2023	औजार 06 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
9	121/67 dt 27-02-2023	औजार 10 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
10	121/68 dt 15-03-2023	पत्थर फर्शी 41 नग	ट्रक	12208	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
11	121/69 dt 27-03-2023	औजार 06 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
12	120/60 dt 30-03-2023	औजार 05 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
13	120/61 dt 28-04-2023	औजार 05 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
14	121/70 dt 18-06-2023	औजार 04 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
15	121/71 dt 01-07-2023	औजार 05 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
16	121/72 dt 13-07-2023	-	ट्रेक्टर मय कम्प्रेसर सहित	10500	वाहन मुक्त केश कम्पाउड
17	120/62 dt 29-07-2023	औजार 05 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
18	121/73 dt 06--08-2023	-	ट्रेक्टर ट्रॉली		राजसात कायेवाही प्रस्तावेत
19	120/63 dt 06-08-2023	औजार 10 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
20	120/64 dt 26-09-2023	पत्थर फर्शी भरा हुआ	ट्रक	-	प0स0 रीछई की जांच में
21	121/75 dt 26-09-2023	औजार 06 नग		-	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में

22	121/74 dt 24-09-2023	औजार 08 नग	—	—	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
23	120/65 dt 28-09-2023	औजार 06 नग	—	—	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
24	121/76 dt 27-09-2023	औजार 07 नग	—	—	चौकी प्रभारी भिलाय की जांच में
<b>Total</b>				<b>22708</b>	
<b>G- Total</b>				<b>562916</b>	



कार्यालय  
सामान्य वनमण्डल विदिशा

ई-मेल- dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष- 07592- 232967, फ़ैक्स- 236976

क्रमांक/ मा0चि0 / ५१५३  
प्रति,

विदिशा, दिनांक २७-१०-२०२३

उप वनमण्डल अधिकारी-गंजबासौदा  
वन परिक्षेत्र अधिकारी-गंजबासौदा

विषय :- Hon'ble NGT order dated 25/09/2023 in the matter of OA 117/2023 (CZ) of News report dated 24<sup>th</sup> September 2023 Dainik Bhaskar Bhopal Edition, Reported by Shri Manish Kushwah with regard to illegal mining, District Vidisha vs State of Madhya Pradesh.

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा गठित दल द्वारा दिनांक 12/10/2023 एवं 13/10/2023 को वन परिक्षेत्र गंजबासौदा अंतर्गत अवैध उत्खनन वनक्षेत्रों का स्थल निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के अंतर्गत निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. प्रत्येक पूर्व से संचालित वन अवैध उत्खनन क्षेत्र में अवैध उत्खनन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बंद करना।
2. उत्खनन क्षेत्रों को चिन्हित कर सूची तैयार करना।
3. प्रत्येक खदान का झोन सर्वे कराया जाना एवं के.एम.एल. फाईल बनाना।
4. खदानों पर अवैध उत्खनन से निकला मलबा का आंकलन करना।
5. प्रत्येक खदान की गहराई एवं चौड़ाई का मापन कर वाल्यूम (घनत्व) निकालना।
6. फर्शी पत्थर का वाल्यूम (घनत्व) निकालना।

उपरोक्त कार्यों के लिए निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है:-

- उप वनमण्डल अधिकारी गंजबासौदा
- वन परिक्षेत्र अधिकारी गंजबासौदा
- परिक्षेत्र सहायक
- वनरक्षक

गठित दल द्वारा उक्त कार्य हेतु मार्गदर्शन कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा से समय-समय पर आवश्यक सहयोग प्राप्त कर अपना विस्तृत प्रतिवेदन 05 जनवरी 2024 तक इस कार्यालय को प्रेषित करें।

o/c

  
वन मण्डल अधिकारी,  
सामान्य, वनमण्डल विदिशा

पृ. क्रमांक/ मा.चि./ ५१५५

विदिशा, दिनांक २७-१०-२०२३

प्रतिलिपि:-कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा की ओर लेख है कि उपरोक्त गठित दल को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि अवैध उत्खनन पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल को जानकारी प्रेषित की जा सकें।

  
वन मण्डल अधिकारी,  
सामान्य, वनमण्डल विदिशा

o/c

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- विदिशा म0प्र0

खनिज भवन, स्वामी विवेकानन्द चौराहा  
न्यू कलेक्ट्रेट काम्पोजिट भवन के पीछे विदिशा  
E-mail:- modgmvid@mp-gov-in

क्रमांक/ 2100 / खनिज/2023

विदिशा, दिनांक 26/10/2023

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय  
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म0प्र0

विषय :- माननीय न्यायालय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक OA No. 117/2023 (CZ) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2023 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देश के संबंध में।

संदर्भ :- समिति द्वारा किये गये संयुक्त मौका निरीक्षण दिनांक 12.10.2023 को की गई चर्चा।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित निर्देशों के अनुक्रम में लेख है कि माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (CZ) में प्रचलित प्रकरण क्रमांक OA No. 117/2023 (CZ) के संबंध में चाही गई जानकारी का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. यह कि विदिशा जिले में बासौदा वनपरिक्षेत्र के अंतर्गत वन भूमि में अवैध खनन के संबंध में कार्यालयीन अभिलेख अनुसार उक्त क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के पूर्व राजस्व भूमि के अंतर्गत आता था। जिसमें गौण खनिज फर्शीपत्थर की खदानें स्वीकृत होकर संचालित थीं। उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने पर उक्त क्षेत्र में स्वीकृत खदानों को बंद करा दिया गया था।
2. यह कि उक्त वन भूमि में खनिज फर्शीपत्थर की बहुलता के कारण खनिज उपयोग हेतु वन भूमि की 849 हेक्टेयर भूमि को राजस्व विभाग को हस्तांतरण हेतु वर्ष 1993 से निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु अद्यतन स्थिति में उक्त खनिज बहुल क्षेत्र का वन भूमि से राजस्व भूमि में हस्तांतरण की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिशील है।
3. यह कि उक्त क्षेत्र में समय-समय पर प्रशासन द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। प्रशासन द्वारा विगत 03 वर्षों में 41 प्रकरणों में 20.00 लाख अर्थदण्ड राशि वसूल की गई।
4. यह कि विदिशा जिले में बासौदा वनपरिक्षेत्र के अंतर्गत राजस्व से वन विभाग को हस्तांतरित भूमि पर पूर्व में स्वीकृत 75 खदानों की सूची (वर्तमान में वन विभाग को हस्तांतरित भूमि क्षेत्र में) परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है। हस्तांतरित वन भूमि के बाहर हस्तांतरित भूमि के निकटस्थ क्षेत्र पर निजी/शासकीय (राजस्व भूमि) में स्वीकृत 61 खदानों की सूची परिशिष्ट 'ब-1' एवं हस्तांतरित वन भूमि के बाहर हस्तांतरित भूमि के दूरस्थ क्षेत्र में निजी/शासकीय (राजस्व भूमि) में स्वीकृत 48 खदानों की सूची परिशिष्ट 'ब-2' में संलग्न है।
5. यह कि विदिशा जिले में बासौदा वन परिक्षेत्र (उदयपुर क्षेत्र) अंतर्गत हस्तांतरित भूमि के निकटस्थ क्षेत्र में निजी/शासकीय (राजस्व भूमि) पर वर्तमान में स्वीकृत 09 खदानों की सूची परिशिष्ट 'स-1' एवं बासौदा वन परिक्षेत्र अंतर्गत हस्तांतरित भूमि के दूरस्थ क्षेत्र में निजी/शासकीय (राजस्व भूमि) पर वर्तमान में स्वीकृत 10 खदानों की सूची परिशिष्ट 'स-2' संलग्न है। उक्त 19 खदानों में से 06 खदान सिया से ई.सी. प्राप्त कर संचालित हैं। शेष 13 खदानें वर्तमान में डिया से ई.सी. प्राप्त कर संचालित हो रही थीं। जिन्हें माननीय न्यायालय एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक OA No. 36/2023 (CZ) में पारित आदेश दिनांक 13.09.2023 के पालन में एम.पी. सिया से ई.सी. प्राप्त होने तक उक्त खदानों के संचालन को बंद कराया गया।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
प्रभारी अधिकारी  
(खनिज शाखा)  
जिला विदिशा म0प्र0

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा म0प्र0

बासौदा वन परिक्षेत्र (उदयपुर क्षेत्र) में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के पूर्व में स्वीकृत गौण खनिज फर्शीपत्थर खदानों की सूची

क्र.	ग्राम	तहसील	ख.क्र.	रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार निजी/शासकीय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	उदयपुर	बासौदा	92	18.405	शासकीय	बंद खदान
2	उदयपुर	बासौदा	1282/2	0.990	शासकीय	बंद खदान
3	उदयपुर	बासौदा	1313	4.000	शासकीय	बंद खदान
4	उदयपुर	बासौदा	1305	18.405	शासकीय	बंद खदान
5	उदयपुर	बासौदा	596, 597, 598, 599	4.000	शासकीय	बंद खदान
6	उदयपुर	बासौदा	1288, 1289/1, 137	16.834	शासकीय	बंद खदान
7	उदयपुर खंड-2	बासौदा	1304	8.069	शासकीय	बंद खदान
8	उदयपुर बारबंद	बासौदा	1323, 1324, 1325, 1327	20.068	शासकीय	बंद खदान
9	उदयपुर बारबंद	बासौदा	1323, 1324, 1327	13.379	शासकीय	बंद खदान
10	उदयपुर अमोरा	बासौदा	689/1/1292, 1289/2, 1290/1, 1291/3	15.177	शासकीय	बंद खदान
11	उदयपुर अमेरा	बासौदा	689, 735/1, 1289/2, 1290/1, 1291/3, 1292	15.471	शासकीय	बंद खदान
12	उदयपुर अमेरा	बासौदा	689, 735/1, 1289/2, 1290/1, 1281/3, 1292	15.471	शासकीय	बंद खदान
13	उदयपुर	बासौदा	1271	4.530	शासकीय	बंद खदान
14	उदयपुर	बासौदा	735/1	6.000	शासकीय	बंद खदान
15	उदयपुर	बासौदा	737/1	0.500	शासकीय	बंद खदान
16	उदयपुर	बासौदा	1272	5.470	शासकीय	बंद खदान
17	उदयपुर	बासौदा	1275	4.000	शासकीय	बंद खदान
18	उदयपुर	बासौदा	1276	1.000	शासकीय	बंद खदान
19	उदयपुर	बासौदा	1277	2.000	शासकीय	बंद खदान
20	उदयपुर	बासौदा	1282	0.990	शासकीय	बंद खदान
21	उदयपुर	बासौदा	1289/1	8.079	शासकीय	बंद खदान
22	उदयपुर	बासौदा	1288	1.000	शासकीय	बंद खदान
23	उदयपुर	बासौदा	1317	7.755	शासकीय	बंद खदान
24	उदयपुर	बासौदा	1314	7.870	शासकीय	बंद खदान
25	उदयपुर	बासौदा	1315	6.961	शासकीय	बंद खदान
26	उदयपुर	बासौदा	1297	3.500	शासकीय	बंद खदान
27	साहबा	बासौदा	105	6.689	शासकीय	बंद खदान
28	साहबा	बासौदा	91	5.184	शासकीय	बंद खदान
29	साहबा	बासौदा	92	7.337	शासकीय	बंद खदान
30	साहबा	बासौदा	102	7.680	शासकीय	बंद खदान
31	साहबा	बासौदा	105	1.000	शासकीय	बंद खदान
32	साहबा	बासौदा	1, 2, 319	17.381	शासकीय	बंद खदान
33	साहबा	बासौदा	96, 97	12.000	शासकीय	बंद खदान
34	साहबा	बासौदा	226	3.500	शासकीय	बंद खदान
35	साहबा	बासौदा	228	6.480	शासकीय	बंद खदान
36	साहबा	बासौदा	20	1.919	शासकीय	बंद खदान
37	साहबा	बासौदा	104/1	4.000	शासकीय	बंद खदान
38	लहदरा	बासौदा	147	4.000	शासकीय	बंद खदान

39	लहदरा	बासौदा	123, 140, 141, 142, 146	29.065	शासकीय	बंद खदान
40	लहदरा	बासौदा	149	3.999	शासकीय	बंद खदान
41	लहदरा	बासौदा	147	4.000	शासकीय	बंद खदान
42	लहदरा	बासौदा	64	8.000	शासकीय	बंद खदान
43	लहदरा	बासौदा	69	2.500	शासकीय	बंद खदान
44	लहदरा	बासौदा	70	1.500	शासकीय	बंद खदान
45	लहदरा	बासौदा	68	4.000	शासकीय	बंद खदान
46	लहदरा	बासौदा	84	3.000	शासकीय	बंद खदान
47	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	40	4.000	शासकीय	बंद खदान
48	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	63	7.263	शासकीय	बंद खदान
49	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	64	7.136	शासकीय	बंद खदान
50	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	70	5.644	शासकीय	बंद खदान
51	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	71	0.418	शासकीय	बंद खदान
52	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	76	3.219	शासकीय	बंद खदान
53	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	77	1.045	शासकीय	बंद खदान
54	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	78	1.254	शासकीय	बंद खदान
55	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	111	0.136	शासकीय	बंद खदान
56	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	114	1.306	शासकीय	बंद खदान
57	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	115	5.489	शासकीय	बंद खदान
58	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	116	1.536	शासकीय	बंद खदान
59	आबूपुर कुचौली	त्योंदा	117	0.679	शासकीय	बंद खदान
60	पधार	त्योंदा	26	6.219	शासकीय	बंद खदान
61	पधार	त्योंदा	4	2.447	शासकीय	बंद खदान
62	पधार	त्योंदा	20	7.525	शासकीय	बंद खदान
63	नूरपुर	त्योंदा	3	2.094	शासकीय	बंद खदान
64	दौलवाड़ा	त्योंदा	78, 79, 80	16.304	शासकीय	बंद खदान
65	मिलाय	त्योंदा	412, 413/1, 415/5, 513	7.242	शासकीय	बंद खदान
66	मिलाय	त्योंदा	412, 413/1, 415/4, 513/2	7.202	शासकीय	बंद खदान
67	कुचौली	त्योंदा	16	5.132	शासकीय	बंद खदान
68	कुचौली	त्योंदा	83/1	6.688	शासकीय	बंद खदान
69	कुचौली-2	त्योंदा	11, 12, 13	21.737	शासकीय	बंद खदान
70	मांसेर	बासौदा	1, 2, 18, 19, 32, 199, 205, 211, 215, 338	13.868	शासकीय	बंद खदान
71	मुंडरी	बासौदा	235	1.045	शासकीय	बंद खदान
72	मुंडरी	बासौदा	252/1	1.714	शासकीय	बंद खदान
73	मुहांसा	बासौदा	50, 51	4.180	शासकीय	बंद खदान
74	मुंडरी	बासौदा	235	0.340	शासकीय	बंद खदान
75	भुंआरा	बासौदा	156	18.360	शासकीय	बंद खदान
योग			कुल किता- 125	कुल रकवा-504.380		

  
 प्रभारी अभियंता  
 (स्थिति जांच)  
 जिला विद्यालय (सहयुग्म)  
 जिला विद्यालय

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा म0प्र0

वन परिक्षेत्र बासौदा (उदयपुर क्षेत्र) के अंतर्गत वन सीमा के बाहर समीपस्थ निजी/शासकीय (राजस्व) भूमि पर पूर्व में स्वीकृत रही गौण खनिज फर्शीपत्थर की बंद खदानों की सूची

क्र.	ग्राम	तहसील	ख.क्र.	रकवा (हे. में)	भूमि का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	भुंआरा	बासौदा	157	18.360	शासकीय	बंद खदान
2	साहबा	बासौदा	28/1	9.198	शासकीय	बंद खदान
3	साहबा	बासौदा	92, 105, 106	15.000	शासकीय	बंद खदान
4	साहबा	बासौदा	91, 92	5.000	शासकीय	बंद खदान
5	साहबा	बासौदा	221	2.000	शासकीय	बंद खदान
6	साहबा	बासौदा	6/1	0.975	शासकीय	बंद खदान
7	साहबा	बासौदा	16/1	0.385	शासकीय	बंद खदान
8	साहबा	बासौदा	222	4.000	शासकीय	बंद खदान
9	साहबा	बासौदा	104	1.500	शासकीय	बंद खदान
10	साहबा	बासौदा	104/1	4.185	शासकीय	बंद खदान
11	साहबा	बासौदा	224, 226, 232, 233, 236, 237	35.000	शासकीय	बंद खदान
12	जाफराबाद	बासौदा	130	4.000	शासकीय	बंद खदान
13	जाफराबाद	बासौदा	130	14.000	शासकीय	बंद खदान
14	जाफराबाद	बासौदा	130	4.000	शासकीय	बंद खदान
15	जाफराबाद	बासौदा	131	1.789	शासकीय	बंद खदान
16	जाफराबाद	बासौदा	130	4.000	शासकीय	बंद खदान
17	जाफराबाद	बासौदा	131/2	3.050	शासकीय	बंद खदान
18	पधार	त्यौंदा	48/2	2.000	शासकीय	बंद खदान
19	पधार	त्यौंदा	38/2/3	1.202	शासकीय	बंद खदान
20	पधार	त्यौंदा	53/2	1.000	शासकीय	बंद खदान
21	नूरपुर	त्यौंदा	91	1.000	शासकीय	बंद खदान
22	नूरपुर	त्यौंदा	5	0.481	शासकीय	बंद खदान
23	नूरपुर	त्यौंदा	6	1.000	शासकीय	बंद खदान
24	नूरपुर	त्यौंदा	5, 10, 75	3.000	शासकीय	बंद खदान
25	नूरपुर	त्यौंदा	73, 74, 75	4.000	शासकीय	बंद खदान
26	नूरपुर	त्यौंदा	15	0.637	शासकीय	बंद खदान
27	नूरपुर	त्यौंदा	38	0.439	शासकीय	बंद खदान
28	नूरपुर	त्यौंदा	17	0.167	शासकीय	बंद खदान
29	नूरपुर	त्यौंदा	30	0.189	शासकीय	बंद खदान
30	नूरपुर	त्यौंदा	38	0.439	शासकीय	बंद खदान
31	नूरपुर	त्यौंदा	89	1.003	शासकीय	बंद खदान
32	नूरपुर	त्यौंदा	90	3.125	शासकीय	बंद खदान
33	नूरपुर	त्यौंदा	76	0.105	शासकीय	बंद खदान
34	दैलवाडा	त्यौंदा	104	0.732	शासकीय	बंद खदान
35	दैलवाडा	त्यौंदा	90	0.763	शासकीय	बंद खदान
36	दैलवाडा	त्यौंदा	216, 217, 218, 219/1, 222, 223	0.500	शासकीय	बंद खदान
37	दैलवाडा	त्यौंदा	219/1	0.807	शासकीय	बंद खदान
38	दैलवाडा	त्यौंदा	83/1	0.303	शासकीय	बंद खदान
39	कुघौली	त्यौंदा	13	2.090	शासकीय	बंद खदान
40	लहदरा	बासौदा	151/1	1.500	शासकीय	बंद खदान
41	लहदरा	बासौदा	153	4.000	शासकीय	बंद खदान
42	लहदरा	बासौदा	152, 153, 154	10.000	शासकीय	बंद खदान

43	लहदरा	बासौदा	154	3.000	शासकीय	बंद खदान
44	लहदरा	बासौदा	65	2.500	शासकीय	बंद खदान
45	लहदरा	बासौदा	85/2, 85/3	1.862	शासकीय	बंद खदान
46	लहदरा	बासौदा	93/2, 94/2	1.304	शासकीय	बंद खदान
47	लहदरा	बासौदा	93/1, 94/1, 94/3	2.000	शासकीय	बंद खदान
48	लहदरा	बासौदा	95, 98, 99, 102, 105	0.328	शासकीय	बंद खदान
49	लहदरा	बासौदा	72 Min	0.535	शासकीय	बंद खदान
50	लहदरा	बासौदा	65	2.500	शासकीय	बंद खदान
51	लहदरा	बासौदा	80	0.058	शासकीय	बंद खदान
52	लहदरा	बासौदा	92	0.018	शासकीय	बंद खदान
53	लहदरा	बासौदा	9	0.153	शासकीय	बंद खदान
54	लहदरा	बासौदा	14	0.010	शासकीय	बंद खदान
55	लहदरा	बासौदा	47	0.418	शासकीय	बंद खदान
56	लहदरा	बासौदा	63	2.281	शासकीय	बंद खदान
57	लहदरा	बासौदा	74	0.520	शासकीय	बंद खदान
58	लहदरा	बासौदा	70/1	1.202	शासकीय	बंद खदान
59	लहदरा	बासौदा	154	6.379	शासकीय	बंद खदान
60	लहदरा	बासौदा	67	1.515	शासकीय	बंद खदान
61	लहदरा	बासौदा	72	1.150	शासकीय	बंद खदान
योग			कुल किता- 88	कुल रकवा-194.657		

  
 प्रभारी अधिकारी  
 (खनिज शाखा)  
 जिला विदिशा (मध्य प्रदेश)  
 जिला विदिशा

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा म0प्र0

वन परिक्षेत्र बासौदा के अंतर्गत वन सीमा के बाहर दूरस्थ निजी/शासकीय (राजस्व) भूमि पर पूर्व में स्वीकृत रही गौण खनिज फर्शीपत्थर की बंद खदानों की सूची

क्र.	ग्राम	तहसील	ख.क्र.	रकबा (हे. मे)	भूमि का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	रामगढ	पठारी	65/1	2.000	शासकीय	बंद खदान
2	विसलोनी	पठारी	40, 82/1/1	2.000	शासकीय	बंद खदान
3	विसलोनी	पठारी	47	1.000	शासकीय	बंद खदान
4	बावईकला	पठारी	1/1	2.822	शासकीय	बंद खदान
5	बडोह	पठारी	154	1.000	शासकीय	बंद खदान
6	बगोदा	पठारी	220	2.000	शासकीय	बंद खदान
7	काकरोन	पठारी	156, 157/1	3.000	शासकीय	बंद खदान
8	विसलोनी	पठारी	45/1, 45/2	2.000	शासकीय	बंद खदान
9	रामगढ	पठारी	15,16	1.954	शासकीय	बंद खदान
10	विसलोनी	पठारी	292/1, 292/2	3.000	शासकीय	बंद खदान
11	बावईकला	पठारी	82,103	2.000	शासकीय	बंद खदान
12	रामगढ	पठारी	89	1.000	शासकीय	बंद खदान
13	बगोदा	पठारी	220	4.000	शासकीय	बंद खदान
14	काकरोन	पठारी	151,153,154,155	4.000	शासकीय	बंद खदान
15	बगोदा	पठारी	208,209	4.000	शासकीय	बंद खदान
16	बावईकला	पठारी	121/1	2.000	शासकीय	बंद खदान
17	सेतपुर	पठारी	18/1, 29/2	1.275	शासकीय	बंद खदान
18	बिसलानी	पठारी	121/3	1.933	शासकीय	बंद खदान
19	विसलोनी	पठारी	42, 119/2	1.500	शासकीय	बंद खदान
20	काकरोन	पठारी	157/1	1.000	शासकीय	बंद खदान
21	बावईकला	पठारी	2/1	1.000	शासकीय	बंद खदान
22	बिसलानी	पठारी	44	2.000	शासकीय	बंद खदान
23	विसलोनी	पठारी	82/1/2	2.000	शासकीय	बंद खदान
24	विसलोनी	पठारी	44	2.000	शासकीय	बंद खदान
25	रामगढ	पठारी	89	2.950	शासकीय	बंद खदान
26	बडोह	पठारी	700	4.000	शासकीय	बंद खदान
27	विसलोनी	पठारी	293,294	3.666	शासकीय	बंद खदान
28	रामगढ	पठारी	17	4.000	शासकीय	बंद खदान
29	विसलोनी	पठारी	120/5,121/3,123/3	2.000	शासकीय	बंद खदान
30	रामगढ	पठारी	92	3.000	शासकीय	बंद खदान
31	रामगढ	पठारी	92,93/1	3.990	शासकीय	बंद खदान
32	काकरोन	पठारी	153/2,208	4.000	शासकीय	बंद खदान
33	पटरा	पठारी	100	1.500	शासकीय	बंद खदान
34	बावईकला	पठारी	4	2.090	शासकीय	बंद खदान
35	जाजपोन	पठारी	184,232	1.210	शासकीय	बंद खदान
36	विसलोनी	पठारी	264	3.000	शासकीय	बंद खदान
37	बडोह	पठारी	118	1.500	शासकीय	बंद खदान
38	बगोदा	पठारी	212	2.000	शासकीय	बंद खदान
39	बडोह	पठारी	210/4	1.530	शासकीय	बंद खदान
40	रामगढ	पठारी	18	3.450	शासकीय	बंद खदान
41	विसलोनी	पठारी	124	3.553	शासकीय	बंद खदान
42	बगोदा	पठारी	207/1,211	3.500	शासकीय	बंद खदान
43	काकरोन	पठारी	156	1.200	शासकीय	बंद खदान



## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा (म०प्र०)

विदिशा जिले में वन परिक्षेत्र बासोदा अंतर्गत (उदयपुर क्षेत्र) के समीपस्थ राजस्व/निजी भूमि पर तहसील त्योंदा/बासोदा में स्वीकृत खदानों की सूची

स.क्र.	पट्टेधारी का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत ख. न.	स्वीकृत रकबा (में)	ग्राम का नाम	तहसील	अवधि	निजी भूमि/शासकी भूमि	रिमारक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गिरीश पटेल पुत्र श्री रमेश भाई पटेल निवासी- कालाबाग, बरेठ रोड, बासोदा	फर्शीपत्थर	417/2/2	0.75	मिलाय	त्योंदा	20.09.2018 से 19.09.2028	निजी भूमि	SEIAA से ई.सी. प्राप्त
2	श्री बालकिशन यादव पुत्र श्री उधम सिंह यादव निवासी ग्राम मिलाय तह. त्योंदा	फर्शीपत्थर	418/3	1	मिलाय	त्योंदा	22.03.2017 से 21.03.2027	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
3	सचिन कुमार जैन पुत्र श्री श्रीमल जैन निवासी- 2, सोना मवन, मार्केटिंग रोड बासोदा	फर्शीपत्थर	152, 153	1	लहदरा	बासोदा	15.03.2016 से 14.03.2026	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
4	संजय कुमार जैन पुत्र श्री सागरमल जैन निवासी- नौलखी मंदिर के पास, मार्केटिंग रोड बासोदा	फर्शीपत्थर	153	1.9	लहदरा	बासोदा	18.03.2017 से 17.03.2027	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
5	श्रीमति रेनु मंगवानी पत्नी श्री दिलीप मंगवानी निवासी- बरेठ रोड, चर्म के पास, गंजबासोदा	फर्शीपत्थर	13/3, 28/2/1, 28/2/2	1.7	साहबा	बासोदा	12.05.2016 से 11.05.2026	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
6	श्री हेमंत मिश्रा पुत्र श्री मोहनदास जी मिश्रा निवासी पंडापुरा बासोदा तह. बासोदा	फर्शीपत्थर	93/2, 94/2	1.304	लहदरा	बासोदा	27.04.2016 से 26.04.2026	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
7	प्रशांत नायक पुत्र श्री गोविन्द नायक निवासी- 12/143, जालीरी वाली, गली, स्टेशन रोड, गंजबासोदा	फर्शीपत्थर	85/2, 85/3	1.862	लहदरा	बासोदा	06.10.2018 से 05.10.2028	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
8	श्री रामनारायण पलोड पुत्र श्री हीरालाल पलोड निवासी- म.नं. 13, नेहरू चौक, स्टेशन रोड, गंजबासोदा	फर्शीपत्थर	151/1	1.5	लहदरा	बासोदा	06.10.2018 से 05.10.2028	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
9	अब्दुल रहीम पुत्र श्री अब्दुल करीम निवासी- म.नं. 95, वार्ड नं. 23, जवाहर रोड, बासोदा	फर्शीपत्थर	154	3	लहदरा	बासोदा	22.09.2017 से 21.09.2027	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
<b>योग</b>			<b>कुल किता- 14</b>	<b>कुल रकबा-14.016</b>					

  
 प्रकाश मिश्रा  
 (खनिज शाखा)  
 जिला विदिशा

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा (MOPD)

विदिशा जिले में वन परिक्षेत्र बासौदा अंतर्गत दूरस्थ राजस्व/निजी भूमि पर तहसील पठारी में स्वीकृत खदानों की सूची

स.क्र.	पट्टेधारी का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत ख. न.	स्वीकृत रकबा (में)	ग्राम का नाम	तहसील	अवधि	निजी भूमि/शासकीय भूमि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री रामकुमार राजपूत पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी - रामगढ़ बनरावठा, तह. पठारी, जिला विदिशा	फर्शीपत्थर	114/3	1.254	रामगढ़	पठारी	14.09.2018 से 13.09.2028	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
2	श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी - 1030, पठारी, जिला विदिशा	फर्शीपत्थर	7/4, 11/1	3.13	रामगढ़	पठारी	20.09.2018 से 19.09.2028	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
3	श्री योगराज शर्मा पुत्र श्री मनीराम शर्मा निवासी- लमन्या, तह0 बासौदा, जिला विदिशा	फर्शीपत्थर	112/2	1.045	विसलानी	पठारी	02.03.2019 से 01.03.2029	निजी भूमि	SEIAA से ई.सी. प्राप्त
4	श्री विपेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री रोशन सिंह चौहान, निवासी-पठारी, तह0 पठारी, जिला विदिशा	फर्शीपत्थर	42/3	1	पटरा	पठारी	11.01.2019 से 10.01.2029	निजी भूमि	SEIAA से ई.सी. प्राप्त
5	श्रीमति कौशल्या बाई पति शिवराज सिंह निवासी- पटरा, तह. पठारी	फर्शीपत्थर	62	2	पटरा	पठारी	02.04.2016 से 01.04.2026	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
6	श्री हितेश जैन पुत्र श्री सुरेश कुमार जैन निवासी वार्ड 3, राजमंदिर के पास, पठारी, तह. पठारी, जिला विदिशा (सोना स्टोन)	फर्शीपत्थर	36/1/1, 36/3, 37, 38, 41	1.7	जाजपोन	पठारी	03.09.2016 से 02.09.2026	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
7	श्री हल्के वीर अदिवासी पुत्र श्री जगन्नाथ आदिवासी निवासी- 01, क्योलारी, सटाहारी, तह. उदयपुरा, जिला- रायसेन हाल मुकाम- रामगढ़, तह. पठारी, जिला विदिशा	फर्शीपत्थर	114/5, 114/2	2	रामगढ़	पठारी	18.03.2016 से 17.03.2026	निजी भूमि	DEIAA से ई.सी. प्राप्त
8	श्री देव कुमार चौधरी पुत्र श्री सनत कुमार जैन निवासी- म.नं. 10, बस स्टैण्ड के पास, पठारी जिला विदिशा	फर्शीपत्थर	356/1/3	1	बड़ोह	पठारी	22.03.2021 से 21.03.2031	निजी भूमि	SEIAA से ई.सी. प्राप्त
9	श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी- ग्राम पटरा, तह0 पठारी, जिला विदिशा	फर्शीपत्थर	59/2	1.5	पटरा	पठारी	25.02.2022 से 24.02.2032	निजी भूमि	SEIAA से ई.सी. प्राप्त
10	श्रीमती भावना शर्मा पति श्री धर्मपाल शर्मा निवासी- वार्ड नं. 15, मेला ग्राउण्ड रोड, गंजबासौदा	फर्शीपत्थर	15	3.5	बाबईकला	पठारी	10.01.2023 से 09.01.2033	शासकीय भूमि	SEIAA से ई.सी. प्राप्त
<b>योग</b>			<b>कुल किता- 16</b>	<b>कुल रकबा-18.129</b>					

  
**प्रभारी अधिकारी**  
 (खनिज शाखा)  
 जिला विदिशा

अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी (वित्तीय वर्ष-01.  
04.2021 से अद्यतन तक)

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रकरणों की संख्या	जमा अर्थदंड (राशि रुपये लाख में)	जप्त वाहनों की जानकारी
1	2021-22	18	1026030	18
2	2022-23	15	770997	15
3	2023-24	8	198294	6
योग		41	1995321	39

  
 प्रभारी अधिकारी  
 (खनिज शाखा)  
 जिला जल विभाग (मध्य प्रदेश)

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (म०प्र०)

## कार्यवाही विवरण


आज दिनांक 18/01/2021 को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. डॉ. पंकज जैन, कलेक्टर जिला विदिशा
2. श्री विनायक वर्मा, पुलिस अधीक्षक जिला विदिशा
3. श्री राजीव श्रीवास्तव (उपवनमण्डलाधिकारी) विदिशा
4. श्री गोपाल सिंह वर्मा अनुविभागीय अधिकारी विदिशा
5. श्री मेहताब सिंह रावत सिंह, प्रभारी अधिकारी विदिशा
6. श्री गिरजेश वर्मा परिवहन अधिकारी विदिशा

1. सर्वप्रथम खनिज अधिकारी द्वारा विदिशा जिले में अब तक खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। अब तक खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से अवैध परिवहन 104 एवं अवैध उत्खनन 09 तथा अवैध भण्डारण के 15 प्रकरण तैयार कर कार्यवाही की गई है। जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय ने और अधिक कार्यवाही करते हुये तत्काल अवैध परिवहन एवं उत्खनन कार्य रोकने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिये।
2. अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथात हेतु नाके स्थापित किये गये। नाको पर सतत् निगरानी रखी जावे तथा प्रत्येक आगामी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे रिपोर्ट खनिज अधिकारी द्वारा प्रतिदिन प्रस्तुत की जावे।
3. अवैध उत्खनन/परिवहन के स्थल चिन्हित कर सतत् कार्यवाही की जावे।
4. ऐसे शासकीय विभाग जो शासकीय कार्य हेतु ठेकेदारों के माध्यम से जो कार्य किये जा रहे हैं उन्हें निर्देश दिये जाये कि वे संबंधित वाहन चालक के पास दस्तावेज आदि रखवाना सुनिश्चित करें, व सभी विभागों से निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज की रायल्टी राशि के स्थान पर बजार मूल्य के समतुल्य राशि खनिज मद में जमा करवाए जाने बावत् कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।
5. पुलिस अधीक्षक द्वारा भी खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक बावत् पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने बावत् आश्वस्त किया गया व जब भी खनिज एवं राजस्व अमला कोई बड़ी कार्यवाही हेतु जावे तो अलग से आवश्यक फोर्स उपलब्ध कराने बावत् अश्वस्त किया गया।

6. उदयपुर, गंजबासौदा तहसील के वनभूमि स्थिति फर्शीपत्थर की खदानों को जहा से अवैध उत्खनन की शिकायते सतत् प्राप्त होती रहती है, को राज्य भूमि में परिवर्तित करने बावत् प्रस्ताव संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल को निर्देशित किया गया।
7. जिला विदिशा मे गौण खनिज रेत की खदाने दि. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा निविदा के माध्यम से श्री विवेक पटेल निवासी- नरसिंहपुर को आवंटित की जाकर संचालित है। उक्त खदानों में खनिज रेत के वैध खनन को बढावा दिया जाने एवं ठेकेदार को स्वीकृत खदान के अतिरिक्त अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर सतत् निगरानी रखी जावे।
- अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ जिला खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

  
खनि अधिकारी  
एवं सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला विदिशा (म.प्र.)

  
कलेक्टर 19/11/21  
एवं अध्यक्ष  
जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (म0प्र0)

## कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22/02/2021 को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. डॉ. पंकज जैन, कलेक्टर जिला विदिशा
2. श्री विनायक वर्मा, पुलिस अधीक्षक जिला विदिशा
3. श्री राजवीर सिंह वनमण्डलाधिकारी विदिशा
4. श्री मेहताब सिंह रावत सिंह, प्रभारी अधिकारी विदिशा
5. श्री गिरजेश वर्मा जिला परिवहन अधिकारी विदिशा


1. सर्वप्रथम खनिज अधिकारी द्वारा विदिशा जिले में अब तक खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। अब तक खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से अवैध परिवहन 114 एवं अवैध उत्खनन 21 तथा अवैध भण्डारण के 20 प्रकरण तैयार कर कार्यवाही की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 57 एफ.आई.आर. दर्ज की गई तथा अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरणों में कुल 10 वाहन/मशीनरी राजसात की गई है। जिनकी नीलामी की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त कार्यवाही से जिले में अवैध खनन/परिवहन के प्रकरणों में कमी आई है। जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि और अधिक कार्यवाही करते हुये तत्काल अवैध परिवहन एवं उत्खनन कार्य रोकने हेतु अभियान जारी रखे।
2. अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथात हेतु नाके स्थापित किये गये। नाको पर सतत् निगरानी रखी जावे तथा प्रत्येक आगामी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे रिपोर्ट खनिज अधिकारी द्वारा प्रतिदिन प्रस्तुत की जावे।
3. अवैध उत्खनन/परिवहन के स्थल चिन्हित कर सतत् कार्यवाही की जावे।
4. वन मंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में कुल उत्खनन प्रभावित क्षेत्र 4407.01 हेक्टेयर है। जिसमें उदयपुर, घटेरा, पधार, भिलाय आदि क्षेत्र है। वन क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान अधिकांशतः मशीनरी नहीं मिलने पर अवैध उत्खनन कर रखा गया पत्थर विभाग द्वारा मौके पर नष्ट किया जाता है।
5. वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 38 प्रकरण दर्ज किये जाकर 25 वाहन जप्त किये जाकर कुल राशि 74,458/- वसूल की गई।
6. अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान वन कर्मियों पर हमले भी किये गये है। जिसकी 02 एफ.आई.आर. त्योंदा थाने में दर्ज करायी गई है।



7. वन मंडलाधिकारी विदिशा द्वारा उदयपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु 02 खनिज जांच नाके जिसमें एक नाका बरेठ रोड़ उदयपुर एवं दूसरा नाका घटेरा ग्राम के समीप प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त दो नाके लगाये जाने से वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन कर परिवहन किये जाने वाले वाहन बिना रायल्टी के नहीं जा सकेंगे।
8. पुलिस अधीक्षक विदिशा द्वारा भी खनिजों के अवैध खनन/परिवहन पर रोक बावत् पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने बावत् आश्वस्त किया गया व जब भी खनिज एवं राजस्व, वन अमला कोई बड़ी कार्यवाही हेतु जावे तो अलग से आवश्यक फोर्स उपलब्ध कराने बावत् अश्वस्त किया गया।
9. जिला विदिशा में गौण खनिज रेत की खदानें दि. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा निविदा के माध्यम से श्री विवेक पटेल निवासी- नरसिंहपुर को आवंटित की जाकर संचालित है। उक्त खदानों में खनिज रेत के वैध खनन को बढ़ावा दिया जाने एवं ठेकेदार को स्वीकृत खदान के अतिरिक्त अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर सतत् निगरानी रखी जावे।

अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ जिला खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

  
खनि अधिकारी  
एवं सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला विदिशा (म.प्र.)

  
कलेक्टर  
एवं अध्यक्ष  
जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (म0प्र0)

## कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 16/03/2021 को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. डॉ. पंकज जैन, कलेक्टर जिला विदिशा
2. श्री विनायक वर्मा, पुलिस अधीक्षक जिला विदिशा
3. श्री राजवीर सिंह वनमण्डलाधिकारी विदिशा
4. श्री मेहताब सिंह रावत सिंह, खनिज अधिकारी विदिशा
5. श्री गिरजेश वर्मा जिला परिवहन अधिकारी विदिशा

1. सर्वप्रथम खनिज अधिकारी द्वारा विदिशा जिले में अब तक खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से अवैध परिवहन 124 एवं अवैध उत्खनन 21 तथा अवैध भण्डारण के 20 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गौण खनिजों के अवैध खनन/परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 379,414 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु कुल 57 एफ.आई.आर. दर्ज की गई। अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरणों में कुल 12 वाहन/मशीनरी राजसात की गई है। जिनकी नीलामी की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त कार्यवाही से जिले में अवैध खनन/परिवहन के प्रकरणों में कमी आई है।
2. कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि और अधिक कार्यवाही करते हुये मुख्यतः उदयपुर क्षेत्र में तत्काल अवैध परिवहन एवं उत्खनन कार्य रोकने हेतु अभियान जारी रखे।
3. गौण खनिजों के परिवहन में उपयोग में लाये जाने वाले वाहन जिनकी कंपनी द्वारा निर्धारित स्वरूप/भार क्षमता से अधिक बॉडी में परिवर्तन कर खनिज परिवहन में उपयोग किया जा रहा है, उन वाहनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये पुनः मूल स्वरूप/भार क्षमता में परिवर्तन की आवश्यक कार्यवाही की जावे।
4. अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु 10 नाके स्थापित किये गये। नाको पर सतत् निगरानी रखी जावे तथा प्रत्येक आगामी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे रिपोर्ट खनिज अधिकारी द्वारा प्रतिदिन प्रस्तुत की जावे।
5. अवैध उत्खनन/परिवहन के स्थल चिन्हित कर सतत् कार्यवाही की जावे।
6. वन मंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में कुल उत्खनन प्रभावित क्षेत्र 4407.01 हेक्टेयर है। जिसमें उदयपुर, घटेरा, पधार, भिलाय आदि क्षेत्र है। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक अमले द्वारा सतत् कार्यवाही की जा रही

है। मौके पर जांच के दौरान व्यक्ति अथवा मशीनरी आदि नहीं मिलने पर अमले द्वारा फर्शी पत्थर के विनष्टीकरण की कार्यवाही सतत् की जा रही है।

7. वन मंडलाधिकारी विदिशा द्वारा प्रस्तावित उदयपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु 02 खनिज जांच नाके जिसमें एक नाका बरेठ रोड़ उदयपुर एवं दूसरा नाका घटेरा ग्राम के समीप प्रस्तावित किये गये। उक्त दो नाके स्थापित किये जाकर वर्तमान में लगाये जाने से वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन कर परिवहन किये जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है।
8. पुलिस अधीक्षक विदिशा द्वारा भी खनिजों के अवैध खनन/परिवहन पर रोक बावत् पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने बावत् आश्वस्त किया गया व जब भी खनिज एवं राजस्व, वन अमला कोई बड़ी कार्यवाही हेतु जावे तो अलग से आवश्यक फोर्स उपलब्ध कराने बावत् आश्वस्त किया गया।
9. जिला विदिशा मे गौण खनिज रेत की खदाने दि. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा निविदा के माध्यम से श्री विवेक पटेल निवासी- नरसिंहपुर को आवंटित की जाकर संचालित है। उक्त खदानों में खनिज रेत के वैध खनन को बढ़ावा दिया जाने एवं ठेकेदार को स्वीकृत खदान के अतिरिक्त अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर सतत् निगरानी रखी जावे।

अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ जिला खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

खनि अधिकारी  
एवं सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला विदिशा (म.प्र.)

कलेक्टर 23/3/21  
एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (म0प्र0)

## कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 24.01.2023 को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर जिला विदिशा
2. श्रीमती मोनिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक जिला विदिशा
3. श्री उमाशंकर सिंह मर्सकोले, वनमण्डलाधिकारी विदिशा
4. श्री मेहताब सिंह रावत सिंह, खनिज अधिकारी विदिशा
5. श्री गिरजेश वर्मा जिला परिवहन अधिकारी विदिशा

1. सर्वप्रथम खनिज अधिकारी द्वारा विदिशा जिले में माह जनवरी 2023 में खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से अवैध परिवहन 07 एवं अवैध उत्खनन 04 तथा अवैध भण्डारण के 11 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है।

2. कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि और अधिक कार्यवाही करते हुये मुख्यतः उदयपुर क्षेत्र में तत्काल अवैध परिवहन एवं उत्खनन कार्य रोकने हेतु अभियान जारी रखे।

3. गौण खनिजों के परिवहन में उपयोग में लाये जाने वाले वाहन जिनकी कंपनी द्वारा निर्धारित स्वरूप/भार क्षमता से अधिक बॉडी में परिवर्तन कर खनिज परिवहन में उपयोग किया जा रहा है, उन वाहनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये पुनः मूल स्वरूप/भार क्षमता में परिवर्तन की आवश्यक कार्यवाही की जावे।


4. वन मंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में कुल उत्खनन प्रभावित क्षेत्र 856.000 हेक्टेयर है। जिसमें उदयपुर, घटेरा, पधार, भिलाय आदि क्षेत्र है। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक अमले द्वारा सतत् कार्यवाही की जा रही है। मौके पर जांच के दौरान व्यक्ति अथवा मशीनरी आदि नहीं मिलने पर अमले द्वारा फर्शी पत्थर के विनष्टीकरण की कार्यवाही सतत् की जा रही है।

5. जिला विदिशा मे गौण खनिज रेत की खदाने दि. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा निविदा के माध्यम से श्री विवेक पटेल निवासी- नरसिंहपुर को आवंटित की जाकर संचालित है। उक्त खदानों में खनिज रेत के वैध खनन को बढ़ावा दिया जाने एवं ठेकेदार को स्वीकृत खदान के अतिरिक्त अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर सतत् निगरानी रखी जावे।

अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ जिला खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।



खनि अधिकारी  
एवं सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला विदिशा (म.प्र.)



कलेक्टर

एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (म0प्र0)

## कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 25.02.2023 को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर जिला विदिशा
  2. श्रीमती मोनिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक जिला विदिशा
  3. श्री उमाशंकर सिंह मर्सकोले, वनमण्डलाधिकारी विदिशा
  4. श्री मेहताब सिंह रावत सिंह, खनिज अधिकारी विदिशा
  5. श्री गिरजेश वर्मा जिला परिवहन अधिकारी विदिशा
1. सर्वप्रथम खनिज अधिकारी द्वारा विदिशा जिले में माह फरवरी 2023 में खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से अवैध परिवहन 02 एवं अवैध उत्खनन 03 तथा अवैध भण्डारण के 01 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है।
2. कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि और अधिक कार्यवाही करते हुये मुख्यतः उदयपुर क्षेत्र में तत्काल अवैध परिवहन एवं उत्खनन कार्य रोकने हेतु अभियान जारी रखे।
3. गौण खनिजों के परिवहन में उपयोग में लाये जाने वाले वाहन जिनकी कंपनी द्वारा निर्धारित स्वरूप/भार क्षमता से अधिक बॉडी में परिवर्तन कर खनिज परिवहन में उपयोग किया जा रहा है, उन वाहनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये पुनः मूल स्वरूप/भार क्षमता में परिवर्तन की आवश्यक कार्यवाही की जावे।
4. वन मंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में कुल उत्खनन प्रभावित क्षेत्र 856.000 हेक्टेयर है। जिसमें उदयपुर, घटेरा, पधार, भिलाय आदि क्षेत्र है। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक अमले द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है। मौके पर जांच के दौरान व्यक्ति अथवा मशीनरी आदि नहीं मिलने पर अमले द्वारा फर्शी पत्थर के विनष्टीकरण की कार्यवाही सतत की जा रही है।
5. जिला विदिशा मे गौण खनिज रेत की खदाने दि. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा निविदा के माध्यम से श्री विवेक पटेल निवासी- नरसिंहपुर को आवंटित की जाकर संचालित है। उक्त खदानों में खनिज रेत के वैध खनन को बढ़ावा दिया जाने एवं ठेकेदार को स्वीकृत खदान के अतिरिक्त अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर सतत निगरानी रखी जावे।

अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ जिला खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

खनि अधिकारी  
एवं सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला विदिशा (म.प्र.)

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (म0प्र0)

## कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 20.03.2023 को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर जिला विदिशा
  2. श्रीमती मोनिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक जिला विदिशा
  3. श्री उमाशंकर सिंह मर्सकोले, वनमण्डलाधिकारी विदिशा
  4. श्री मेहताब सिंह रावत सिंह, खनिज अधिकारी विदिशा
  5. श्री गिरजेश वर्मा जिला परिवहन अधिकारी विदिशा
1. सर्वप्रथम खनिज अधिकारी द्वारा विदिशा जिले में माह मार्च 2023 में खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से अवैध परिवहन 04 एवं अवैध उत्खनन 03 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है।
2. कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि और अधिक कार्यवाही करते हुये मुख्यतः उदयपुर क्षेत्र में तत्काल अवैध परिवहन एवं उत्खनन कार्य रोकने हेतु अभियान जारी रखे।
3. गौण खनिजों के परिवहन में उपयोग में लाये जाने वाले वाहन जिनकी कंपनी द्वारा निर्धारित स्वरूप/भार क्षमता से अधिक बॉडी में परिवर्तन कर खनिज परिवहन में उपयोग किया जा रहा है, उन वाहनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये पुनः मूल स्वरूप/भार क्षमता में परिवर्तन की आवश्यक कार्यवाही की जावे।
4. वन मंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में कुल उत्खनन प्रभावित क्षेत्र 856.000 हेक्टेयर है। जिसमें उदयपुर, घटेरा, पधार, भिलाय आदि क्षेत्र है। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक अमले द्वारा सतत् कार्यवाही की जा रही है। मौके पर जांच के दौरान व्यक्ति अथवा मशीनरी आदि नहीं मिलने पर अमले द्वारा फर्शी पत्थर के विनष्टीकरण की कार्यवाही सतत् की जा रही है।
5. जिला विदिशा मे गौण खनिज रेत की खदाने दि. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा निविदा के माध्यम से श्री विवेक पटेल निवासी- नरसिंहपुर को आवंटित की जाकर संचालित है। उक्त खदानों में खनिज रेत के वैध खनन को बढ़ावा दिया जाने एवं ठेकेदार को स्वीकृत खदान के अतिरिक्त अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर सतत् निगरानी रखी जावे।
- अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ जिला खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

  
खनि अधिकारी  
एवं सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला विदिशा (म.प्र.)

  
कलेक्टर  
एवं अध्यक्ष  
जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (म0प्र0)

क्रमांक 800 / टा.फो. / 2023-24

विदिशा, दिनांक 20/04/2023

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 20.04.2023

का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में आज दिनांक 20.04.2023 को कार्यालय कलेक्टर के बेतबा हाल कक्ष में जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं जिला टास्क फोर्स समिति अध्यक्ष जिला-विदिशा, श्रीदीपक शुक्ला, पुलिस अधीक्षकविदिशा, श्री मेहताब सिंह रावत सिंह, खनिज अधिकारी विदिशा, श्री सुबोध भार्गव, जूनियर साइंटिस्ट म0प्र0 नियंत्रण बोर्ड भोपाल, श्री गिरजेश वर्मा जिला परिवहन अधिकारी विदिशा एवं श्री विजय मौर्य, उपवनमंडलाधिकारी विदिशा उपस्थित रहे।

बैठक में निर्धारित एजेण्डे पर विन्दुवार चर्चा की गई। जिसमें प्रमुख रूप से लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं :-

1. खनिज अधिकारी द्वारा खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से विदिशा जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवैध खनन, परिवहन के 88 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड राशि रूपये 37 लाख वसूल किया गया।


2. उप वनमंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में कुल उत्खनन प्रभावित क्षेत्र 856.000 हेक्टेयर है। जिसमें उदयपुर, घटेरा, पधार, भिलाय आदि क्षेत्र है। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक अमले द्वारा सतत् कार्यवाही की जा रही है। मौके पर जांच के दौरान व्यक्ति अथवा मशीनरी आदि नहीं मिलने पर अमले द्वारा फर्शी पत्थर के विनष्टीकरण की कार्यवाही सतत् की जा रही है। किन्तु क्षेत्र में बड़े-बड़े ब्लॉक भी बनाये जा रहे हैं।

3. समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गंजबासौदा क्षेत्र में उदयपुर मंदिर तथा पुरातत्व विभाग के धरोहर के पास वन भूमि में हो रहे अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु वन विभाग के नेतृत्व में रणनीति बनाकर अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध वन, पुलिस, राजस्व तथा खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सख्त कार्यवाही करें।

4. पठारी तहसील में भारतीय पुरातत्व के अधीन केन्द्रिय संरक्षित स्मारक सप्तमातृका गुफा के पास किये जा रहे उत्खनन की जांच कर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

5. गौण खनिजों के परिवहन में उपयोग में लाये जाने वाले वाहन जिनकी कंपनी द्वारा निर्धारित स्वरूप/भार क्षमता से अधिक बॉडी में परिवर्तन कर खनिज परिवहन में उपयोग किया जा रहा है, उन वाहनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये पुनः मूल स्वरूप/भार क्षमता में परिवर्तन की आवश्यक कार्यवाही की जावे।

बैठक के अंत में कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए जिला स्तरीय खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

  
20/04/2023  
कलेक्टर

एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 20/04/2023

पृ. क्रमांक 801 / टा.फो. / 2023-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, अरेरा हिल्स, खनिज भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. पुलिस अधीक्षक विदिशा।
5. वनमंडलाधिकारी वनमंडल विदिशा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल।
7. जिला परिवहन अधिकारी जिला- विदिशा।

  
20/04/2023  
कलेक्टर

एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (म0प्र0)

क्रमांक/1575/टा.फो./2023-24

विदिशा, दिनांक 20/06/2023

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 19.06.2023

## का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में आज दिनांक 19.06.2023 को कार्यालय कलेक्टर के कलेक्टर कक्ष में जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं जिला टास्क फोर्स समिति अध्यक्ष जिला-विदिशा, श्री दीपक शुक्ला, पुलिस अधीक्षक श्री ओमकार सिंह मरकम वनमंडलाधिकारी विदिशा एवं श्री मेहताब सिंह रावत सिंह, खनिज अधिकारी विदिशा उपस्थित रहे।

बैठक में निर्धारित एजेण्डे पर विन्दुवार चर्चा की गई। जिसमें प्रमुख रूप से लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं :-

1. खनिज अधिकारी द्वारा खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से विदिशा जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवैध खनन, परिवहन के 27 प्रकरण दर्ज कर अर्धदण्ड राशि रुपये 06.70 लाख वसूल किया गया।

2. पूर्व की बैठक के पालन प्रतिवेदन अंतर्गत अवगत कराया गया कि सप्तमातृका गुफा पठारी/बड़ोह में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान पुरातत्व स्थल के आसपास उत्खनन नहीं पाया गया। उक्त क्षेत्र एवं उदयपुर क्षेत्र में भी पुरातत्व स्थल के आसपास वर्तमान में खनन कार्य बंद होना पाया गया।

3. उप वनमंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में कुल उत्खनन प्रभावित क्षेत्र 856.000 हेक्टेयर है। जिसमें उदयपुर, घटेरा, पधार, भिलाय आदि क्षेत्र है। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक अमले द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है। मौके पर जांच के दौरान व्यक्ति अथवा मशीनरी आदि नहीं मिलने पर अमले द्वारा फर्शी पत्थर के विनष्टीकरण की कार्यवाही सतत की जा रही है।

3. वनमंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि विशेषतः पुरातत्व के मंदिर के आसपास खनन कार्य विगत दिवस में की गई कार्यवाही से खनन कार्य बंद है।

4. समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गंजबासौदा क्षेत्र में उदयपुर मंदिर तथा पुरातत्व विभाग के धरोहर के पास वन भूमि में हो रहे अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु पुलिस एवं वन विभाग के नेतृत्व में विशेष रणनीति बनाकर अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

बैठक के अंत में कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए जिला स्तरीय खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

20/06/2023

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति

जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 20/06/2023

पृ. क्रमांक/1576/टा.फो./2023-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, अरेरा हिल्स, खनिज भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. पुलिस अधीक्षक विदिशा।
5. वनमंडलाधिकारी वनमंडल विदिशा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल।
7. जिला परिवहन अधिकारी जिला- विदिशा।

20/06/2023

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति

जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (मध्यप्रदेश)

क्रमांक 1896/टा.फो./2023-24

विदिशा, दिनांक 19/07/2023

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 17.07.2023

का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में आज दिनांक 17.07.2023 को समय-सीमा बैठक के पश्चात् समय 05.30 बजे कार्यालय कलेक्टर के बेतवा मीटिंग हॉल में जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री डॉ. योगेश तुकाराम भरसट कलेक्टर एवं जिला टास्क फोर्स समिति अध्यक्ष जिला-विदिशा, श्री समीर यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री विजय मौर्य, उपवनमंडलाधिकारी विदिशा एवं श्री मेहताव सिंह रावत सिंह, खनिज अधिकारी विदिशा उपस्थित रहे।

बैठक में निर्धारित एजेण्डे पर बिन्दुवार चर्चा की गई। जिसमें प्रमुख रूप से लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं :-

1. खनिज अधिकारी द्वारा खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से विदिशा जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवैध खनन, परिवहन के 37 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड राशि रुपये 10.20 लाख वसूल किया गया।


2. पूर्व की बैठक के पालन प्रतिवेदन अंतर्गत अवगत कराया गया कि सप्तमातृका गुफा पठारी/बड़ोह में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान 01 प्रकरण अवैध भण्डारण का पजीबद्ध किया गया। पुरातत्व स्थल के आसपास उत्खनन नहीं होना पाया गया। उक्त क्षेत्र एवं उदयपुर क्षेत्र में भी पुरातत्व स्थल के आसपास वर्तमान में खनन कार्य बंद होना पाया गया।

3. उप वनमंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि वन परिक्षेत्र गंजवासौदा में कुल उत्खनन प्रभावित क्षेत्र 856.000 हेक्टेयर है। जिसमें उदयपुर, घटेरा, पधार, भिलाय आदि क्षेत्र है। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक अमले द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है।

3. उप वनमंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि विशेषतः पुरातत्व महत्व के मंदिर (नीलकण्ठेश्वर एवं अन्य) के आसपास खनन की रोकथाम हेतु उड़नदस्ता जांच दल वनमंडल विदिशा द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है।

4. समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गंजवासौदा क्षेत्र में उदयपुर मंदिर तथा पुरातत्व विभाग के धरोहर के पास वन भूमि में हो रहे अवैध उत्खनन की जांच समस्त विभाग यथा हेतु पुलिस, राजस्व, खनिज एवं वन विभाग के द्वारा विशेष रूप से वन विभाग के नेतृत्व में विशेष रणनीति बनाकर अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

बैठक के अंत में कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए जिला स्तरीय खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

f   
कलेक्टर  
एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति


जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 19/07/2023

पृ. क्रमांक 1897/टा.फो./2023-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, अरेरा हिल्स, खनिज भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. पुलिस अधीक्षक विदिशा।
5. वनमंडलाधिकारी वनमंडल विदिशा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल।
7. जिला परिवहन अधिकारी जिला- विदिशा।
8. गार्ड फाईल हेतु।

f   
कलेक्टर  
एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति

जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (मध्यप्रदेश)

क्रमांक 1654/टा.फो./2023-24

विदिशा, दिनांक 21/09/2023

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 28.08.2023

## का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में आज दिनांक 28.08.2023 को समय-सीमा बैठक के पश्चात् समय दोपहर 12.30 बजे कार्यालय कलेक्टर के बेतवा मीटिंग हॉल में जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री उमाशंकर भार्गव कलेक्टर एवं जिला टास्क फोर्स समिति अध्यक्ष जिला-विदिशा, श्री समीर यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ओमकार सिंह मर्सकोले, वनमंडलाधिकारी विदिशा एवं श्री मेहताब सिंह रावत, खनिज अधिकारी विदिशा उपस्थित रहे।

बैठक में निर्धारित एजेण्डे पर विन्दुवार चर्चा की गई। जिसमें प्रमुख रूप से लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं :-

1. खनिज अधिकारी द्वारा खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से विदिशा जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवैध खनन, परिवहन के 44 प्रकरण दर्ज कर अर्धदण्ड राशि रुपये 11.64 लाख वसूल किया गया।

2. पूर्व की बैठक के पालन प्रतिवेदन अंतर्गत अवगत कराया गया कि सप्तमातृका गुफा पठारी/बड़ोह में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान 01 प्रकरण अवैध भण्डारण का पंजीबद्ध किया गया। पुरातत्व स्थल के आसपास उत्खनन नहीं होना पाया गया। उक्त क्षेत्र एवं उदयपुर क्षेत्र में भी पुरातत्व स्थल के आसपास वर्तमान में खनन कार्य बंद होना पाया गया।

3. उप वनमंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में कुल उत्खनन प्रभावित क्षेत्र 856.000 हेक्टेयर है। जिसमें उदयपुर, घटेरा, पधार, भिलाय आदि क्षेत्र हैं। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक अमले द्वारा सतत् कार्यवाही की जा रही है।

4. उप वनमंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि विशेषतः पुरातत्व महत्व के मंदिर (नीलकण्ठेश्वर एवं अन्य) के आसपास खनन की रोकथाम हेतु उडनदस्ता जांच दल वनमंडल विदिशा द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है।

5. समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गंजबासौदा क्षेत्र में उदयपुर मंदिर तथा पुरातत्व विभाग के धरोहर के पास वन भूमि में हो रहे अवैध उत्खनन की जांच समस्त विभाग यथा हेतु पुलिस, राजस्व, खनिज एवं वन विभाग के द्वारा विशेष रूप से वन विभाग के नेतृत्व में विशेष रणनीति बनाकर अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

बैठक के अंत में कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए जिला स्तरीय खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

21/09/2023  
कलेक्टर  
एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 21/09/2023

पू. क्रमांक 1655/टा.फो./2023-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, अरेरा हिल्स, खनिज भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. पुलिस अधीक्षक विदिशा।
5. वनमंडलाधिकारी वनमंडल विदिशा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल।
7. जिला परिवहन अधिकारी जिला- विदिशा।
8. गार्ड फाईल हेतु।

21/09/2023  
कलेक्टर  
एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/1697/टा.फो./2023-24

विदिशा, दिनांक 25/09/2023

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 25.09.2023

## का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर महोदय विदिशा की अध्यक्षता में आज दिनांक 25.09.2023 को समय-सीमा बैठक के पश्चात् कार्यालय कलेक्टर के बेतवा मीटिंग हॉल में जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री उमाशंकर भार्गव कलेक्टर एवं जिला टास्क फोर्स समिति अध्यक्ष जिला-विदिशा, श्री समीर यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ओमकार सिंह मर्सकोले, वनमंडलाधिकारी विदिशा एवं श्री मेहताब सिंह रावत, खनिज अधिकारी विदिशा उपस्थित रहे।

बैठक में निर्धारित एजेण्डे पर विन्दुवार चर्चा की गई। जिसमें प्रमुख रूप से लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं :-

1. खनिज अधिकारी द्वारा खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। खनिज विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से विदिशा जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवैध खनन, परिवहन के 46 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड राशि रूपये 13.39 लाख वसूल किया गया।

2. पूर्व की बैठक के पालन प्रतिवेदन अंतर्गत अवगत कराया गया कि सप्तमातृका गुफा पठारी/बड़ोह में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से सतत् भ्रमण किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान उक्त क्षेत्र में अवैध खनन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। उदयपुर क्षेत्र में भी पुरातत्व स्थल के आसपास वर्तमान में खनन कार्य बंद होना पाया गया।


3. वनमंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि परिक्षेत्र गंजबासौदा के उत्खनन की समस्या काफी पुरानी एवं जटिल है। बासौदा परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बीटें उदयपुर, पधार, भिलायं एवं घटेरा क्षेत्र वनविभाग को भूमि हस्तांतरण के पूर्व में खदानें संचालित थीं। वन क्षेत्र हस्तांतरण के पश्चात् खदानों को स्वीकृति नहीं दी गई। पूर्व से खदानों में काम करने वाले मजदूरों एवं पत्थर व्यापारियों द्वारा फर्शीपत्थर का अवैध रूप से उत्खनन किया जाता रहा है। इस दृष्टि से यह क्षेत्र खनन के मामले में आंशिक सक्रिय क्षेत्र है। वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु पूर्व से ही प्रयास जारी रहे हैं, जिनमें समय-समय पर अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रशासनिक अमले द्वारा सतत् कार्यवाही की जा रही है।

4. उप वनमंडलाधिकारी विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि विशेषतः पुरातत्व महत्व के मंदिर (नीलकण्ठेश्वर एवं अन्य) के आसपास खनन की रोकथाम हेतु उड़नदस्ता जांच दल वनमंडल विदिशा द्वारा रात्रि गश्ती आदि कार्य किये जाकर सतत् निगरानी रखी जा रही है। तथा अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा रहा है।

5. वन परिक्षेत्र गंजबासौदा में वन तथा राजस्व भूमि पर अवैध खनन की जांच समस्त विभाग यथा हेतु पुलिस, राजस्व, खनिज एवं वन विभाग के द्वारा विशेष रूप से वन विभाग के नेतृत्व में विशेष रणनीति बनाकर अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

6. समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गंजबासौदा क्षेत्र में उदयपुर मंदिर तथा बड़ोह पठारी पुरातत्व विभाग के धरोहर के पास में हो रहे अवैध उत्खनन की जांच विशेष जांच दल गठित कर करायी जाये तथा प्रतिमाह प्रगति से अवगत कराया जाये।

बैठक के अंत में कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए जिला स्तरीय खनिज टास्कफोर्स बैठक का समापन किया गया।

  
25/09/2023  
कलेक्टर  
एवं अध्यक्ष


जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 25/09/2023

पृ. क्रमांक/1698/टा.फो./2023-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, अरेरा हिल्स, खनिज भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. पुलिस अधीक्षक विदिशा।
5. वनमंडलाधिकारी वनमंडल विदिशा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल।
7. जिला परिवहन अधिकारी जिला- विदिशा।
8. गार्ड फाईल हेतु।

  
कलेक्टर  
एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति  
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

**Annexure - 10**

**Status of consent issued by MPPCB to Flag Stone mines**

<b>Sr</b>	<b>Name of Mine Address</b>	<b>Consent Obtained Yes/ No</b>	<b>EC of DEIAA / SEIAA</b>	<b>Remark</b>
<b>1</b>	Sanjay Jain (Flag Stone Mine- 4.00 Hectare), kh.no.153,,village lahadara, tehsil gulabganj, distt. vidisha	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>2</b>	Sachin Kumar Jain (Lehdra Flagstone Mine-1.00 Hectare), khno. 152, 153,village- lahdra, tehsil-basauda, distt.-vidisha,-	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>3</b>	Renu Mangwani (Flagstone Mine-1.700 Hectare),kh.no. 13/3,28/2/1,28/2/2,village-sahba, tehsil-basauda, distt.-vidisha,	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>4</b>	Hitesh Kumar Jain ( Flag Stone Mine- 1.70 Hectare),kh.no.36/1/1,36/3,37,38,41, village pathari, teh. kurwai, distt. vidisha,	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>5</b>	Koushalya Flag Stone Mine - 2.00Hectare, kh. no. 62,village - patra tehsil- pathari. distt. vidisha	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>6</b>	Bal Kishan Yadav (Flagstone Mine-1.00 Hectare), kh.no. 418/3,village-bhilay, tehsil-tyoda, distt.-vidisha,	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>7</b>	Hemant Mishra (Flagstone Mine- 1.304 Hectare) k.no. 93/2, 94/2,village- lehdara, tehsil-ganjbasauda, distt.-vidisha,-	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>8</b>	Rajeev Sharma (Flagstone Quarry- 3.130 Hectare) k.no.7/4, 11/1,village- ramgarh, tehsil-pathari, distt.-vidisha,	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>9</b>	Prashant Nayak (Flagstone Mine - 1.962 Hectare), kh.no. 85/2, 85/3 ,village- lahdra, tehsil-basoda, distt.-vidisha,	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>10</b>	Girish Patel (Flagstone Mine -0.750 Hectare), kh. no. 417/2/2,village- bhilay, tehsil-tyonda, distt.-vidisha,	Yes	SEIAA	Complying
<b>11</b>	Yograj Sharma (Flagstone Mine - 1.045 Hectare), kh. no. 112/2,village- bisloni, tehsil-pathari, distt.-vidisha,	Yes	SEIAA	Complying
<b>12</b>	Shri Dev Kumar Choudhary (FlagStone Mine - 1.0 Hectare), kh. no. 356/1/3,village - badoh tehsil - pathari distt.vidisha (m.p.),	Yes	SEIAA	Complying

<b>13</b>	Prithvi Singh Chouhan (Flag Stone Mine -1.50 Hectare), kh. no. 59/2,village - patra tehsil - pathari distt. vidisha	Yes	SEIAA	Complying
<b>14</b>	Smt. Bhawna Sharma (Flag Stone Mine - 3.500 Hectare), kh.no. 15,village - babai kalan tehsil - pathari distt. vidisha (m.p.),	Yes	SEIAA	Complying
<b>15</b>	Abdul Rahim Flag Stone Mine, kh. no. 154,village lahdhara, tehsil basauda, distt. vidisha,	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>16</b>	Ramnarayan Palod (Flagstone Mine -1.20 Hectare), kh.no. 151/1,village- lehadra, tehsil-basoda, distt.-vidisha,	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>17</b>	Vipendra Singh Chouhan ( Flagstone- 1.00 Hectare) kh. no. 42/3,village-patra, tehsil-pathari, distt.-vidisha,	Yes	SEIAA	Complying
<b>18</b>	Ram Kumar Rajput (Flagstone Quarry - 1.254 Hectare), kh.no. 114/3,village-ramgarh, tehsil-pathari, distt.-vidisha,	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation
<b>19</b>	Halkeveer (Flagstone Mine-2.00Hectare), kh.no. 114/2 & 114/5,villageramgarh, tehsil-basauda, distt.-vidisha,	Yes	DEIAA	Notice issued dt 23/10/2023 to stop mine operation